

The 814th meeting of the State Expert Appraisal Committee (SEAC) was held on 26th July, 2025 under the Chairmanship of Shri Rakesh Kumar Shrivastava for the projects which are scheduled in the agenda. Following members attended the meeting in person or through video conferencing -

1. Shri Vijay Kumar Ahirwar, Member.
2. Dr. Rakesh Kumar Pandey, Member.
3. Dr. Pallavee Bhatnagar, Member.
4. Dr. Sunita Singh, Member.
5. Dr. Sushil Manderia, Member.

The Chairman welcomed all the members of the State Expert Appraisal Committee. Before presentation of agenda items- wise the committee discussed and decided to consider the following issues: -

- Fee is being deposited at SEIAA Secretariate, so adequacy of fee shall be verified by SEIAA Secretariate.
- In all cases the project proponent shall comply the MOEF&C's O.M. dated 24 July 2024, MOEF&C's O.M. dated 14.01.2025 & O.M. dated 26.05.2025 w.r.t. plantation, comments of MPPCB and violation cases respectively.

After the above discussion the H'ble Chairman invited the Project Proponents Environmental Consultants for presentation according to scheduled agenda.

1. Case No. P2/632/24 Shri MUKESH PATIDAR, Project Proponent, Village Silkuwa, Tehsil Dahi, Dist. Dhar (Madhya Pradesh). Prior Environment Clearance for Stone (Gitti) in an area of 2.00 ha. (Stone (Gitti) – 11,738 m3/Year (Khasra No. 30), Village Tana, Tehsil Kukshi, Dist. Dhar (M.P.) [466112] (Query Reply) DEIAA Case (B2).

Earlier this Case was discussed in the SEAC meeting 752 dated 16.05.2024 , 762 meeting dated 03.06.2024 & 777th SEAC meeting dated 11/03/2025

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri MUKESH PATIDAR, Project Proponent, Village Silkuwa, Tehsil Dahi, Dist. Dhar (Madhya Pradesh)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	30 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 hectare.
स्थल	Village Tana, Tehsil Kukshi, Dist. Dhar	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के पत्र क्रमांक 1157 दिनांक 30/8/22 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया धार के पत्र क्रमांक 18 दिनांक 09/2/2017 के द्वारा Stone (Gitti) – 11,738 m3/Year हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Stone (Gitti) – 11,738 m3/Year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार Stone (Gitti) – 11,738 m3/Year घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2571 दिनांक 28/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 4.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2571 दिनांक 28/12/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2571 दिनांक 28/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में लगभग 50 मीटर पर नाला स्थित है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत चिप्राटा जिला धार के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक क्यू दिनांक 08/04/2012 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Additional tree to be planted -	

गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा— स्टाप डेम / प्राकृतिक नाला लगभग 05 मी. एवं दक्षिण—पश्चिम दिशा— स्टाप डेम लगभग 11 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण धार जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-27 के सरल क्रमांक-05 पर दर्ज है ।

ADS in 752th SEAC meeting dated 16/05/2024 :-

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. इमेज/कोर्डिनेट्स, माइनिंग प्लान में दिये गये कोर्डिनेट्स से भिन्न है, अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक इस खदान के को-आर्डिनेट संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर समिति के समक्ष पुनः ऑन-लाईन (ए.डी.एस. के पश्चात्) प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

ADS in 762th SEAC meeting dated 03/6/2024 :-

समिति ने चर्चा उपरांत परियोजना प्रस्तावक के प्रस्ताव को मान्य करते हुये सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित रॉक ब्रेकर का संशोधित माईनिंग प्लान कार्यवाही विवरण जारी होने की दिनांक से 01 माह के अन्दर परिवेश पोर्टल अपलोड करने हेतु एडीएस जारी करें ।

ADS in 777th SEAC meeting dated 11/03/2025 :-

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि खदान क्षेत्र से दक्षिण दिशा में एक स्टाप डेम एवं प्राकृतिक नाला लगभग 05 मी. तथा एवं दक्षिण—पश्चिम दिशा में एक और स्टाप डेम लगभग 11 मी. की दूरी पर स्थित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त स्थिति में बैठक के दौरान अनुरोध किया गया कि उक्त खनन कार्य रॉक ब्रेकर पद्धति से किया जाना प्रस्तावित है एवं किसी भी प्रकार का विस्फोटक इस्तमाल न करते हुये रॉक ब्रेकर का इस्तमाल किया जावेगा।

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि रॉक ब्रेकर से बिना किसी विस्फोटक के उपयोग से यदि तकनीकी रूप से तथा व्यवहारिक रूप से खनन किया जाना संभव हो तो इस पर खनिज अधिकारी परीक्षण कर माईनिंग प्लान में आवश्यक संशोधन करेंगे एवं इस बात का विशेष रूप से खनिज अधिकारी ध्यान रखेंगे कि क्या बिना ब्लास्टिंग के खनन कार्य किया जाना संभव है अथवा नहीं, तथा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने की स्थिति में बिना किसी ब्लास्टिंग के खनन कार्य किये जाने की सुनिश्चितता की जानकारी खनिज अधिकारी की होगी। परियोजना

प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के बाहर लगाये जाने वाले बोर्ड पर अन्य जानकारी के साथ बड़े-बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से लिखा हो, उक्त आशय का उल्लेख सुनिश्चित किया जावेगा।

समिति ने परीक्षण उपरान्त परियोजना प्रस्तावक से निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये—

भारत सरकार के ऑफिस मेमोरेण्डम क्रमांक फाईल नं- . IA3-22/11/2023-IA.III(E-208230) Dated 28/4/2023 के बिंदु5-(x) अनुसार डिया प्रकरणों में स्टेट माइन्स एवं जियोलाॅजी डिपार्टमेंट द्वारा जारी कलस्टर सर्टिफिकेट कृपया अपलोड करें तत्पश्चात प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

प्रस्तावित खदान B2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 26.07.2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स अपेक्स मिनटेक, उदयपुर (राज.) उपस्थित हुए। समिति द्वारा परिवेश पोर्टल पर क्वेरी रिप्लाय दस्तावेजों का परीक्षण भी किया।

पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष उपरोक्त संबंध में निम्न जानकारी/प्रस्तुत की।

चूंकि पट्टे क्षेत्र के समीप मौसमी नाला स्थित है, अतः पर्यावरणीय को ध्यान में रखते हुए यह क्षेत्र non-blasting घोषित किया गया है। जल संरचना के सिल्टिंग/कटाव से बचाने के लिये गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक का निर्माण किया गया है। उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	खदान के परिधि में 570 की लम्बाई में फेन्सिंग में से 420 मीटर लम्बाई पर फेंसिंग की गई है 150 मीटर पर मरम्मत की जाएगी
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बैरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	बैरियर जोन में 100 वृक्ष लगे हुए हैं पट्टा क्षेत्र में 7.50 मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र के खुदे हुआ भाग का पुनःभरण कर दिया गया है
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	लगभग 50 प्रतिशत पायी गई।

पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 1000 पेड़ लगाये गये एवं 300 पेड़ बांटे गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	ग्राम के विकास एवं सोशल वेलफेयर (सामाजिक कल्याण) हेतु 1. ग्राम पंचायत लोहारी में पौधारोपण के लिए गड्ढे खोदने के लिए जे.सी.बी. द्वारा 15 घंटे निःशुल्क कार्य किया गया 2. ग्राम पंचायत लोहारी में सड़क समतलीकरण हेतु जूरी एवं डस्ट की कुल 30 ट्रॉलियाँ प्रदान की गईं। जिसके साक्ष्य पत्र क्रमांक 19 दिनांक 1/07/2024 में दिया गया है

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि पेसा संबंधी एनओसी प्रक्रिया में है जो शीघ्र ही प्रस्तुत की जावेगी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक पायी गई

- 1- अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Stone (Gitti) – 11,738 m3/Year.
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में कशर प्रस्तावित नहीं है।
3. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खनन हेतु ब्लास्टिंग प्रक्रिया प्रस्तावित नहीं है।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 10.05 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 3.40 लाख प्रति वर्ष।
- 3 सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

क्रमांक	प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु.)
1	ग्राम टाना के शासकीय प्राथमिक विद्यालय 3 ^{ण०} का सोलर पेनल स्थापित किया जायेगा	1,20,000
2	पर्यावरण संरक्षण जागरूकता हेतु वॉल पेंटिंग की जाएगी	25,000

3	पीने के पानी की टंकी के नल नए लगाए जायेंगे	5000
कुल		1,50,000

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण प्रस्तावित है

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

- पेसा संबंधी एनओसी प्राप्त होते ही प्रकरण पर पर्यावरणीय स्वीकृति अनुषंसा हेतु प्रकरण अग्रेषित किया जाएगा।

2. Case No. P2/715/24 Shri KRISHNA KHOKAR, Project Proponent, Village Kod, Tehsil Badnawar, District -Dhar (M.P). Prior Environment Clearance for Stone in an area of 2.00 ha. (Stone (Gitti) 10,769 cum/annum) (Khasra No. 548/1,554 & 557), Village Nagzhiri, Tehsil Badnawar, Dist. Dhar (M.P.) [466329] (Query Reply) (B2)

Earlier this Case was discussed in 762th SEAC meeting dated 03/06/2024 wherein Query raised.

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri KRISHNA KHOKAR, Project Proponent, Village Kod, Tehsil Badnawar, District -Dhar (M.P)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	548/1,554 & 557 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड) 2.00 hectare.
स्थल	Village Nagzhiri, Tehsil Badnawar, Dist. Dhar
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के पत्र क्रमांक 4001 दिनांक 31/7/2014 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	नॉन-ब्लास्टिंग माइनिंग प्लान के मुताबिक ।
क्रेशर की स्थिति	लीज क्षेत्र के अंदर है ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया धार के पत्र क्रमांक 10 दिनांक 09/02/2017 के द्वारा पत्थर-16632 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट / डिया से सिया
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Stone (Gitti) 10,769 cum/annum हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार Stone (Gitti) 10,769 cum/annum
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2519 दिनांक 22/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 3.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2519 दिनांक 22/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2519 दिनांक 22/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 100 मीटर पर आबादी स्थित है एवं 80 मीटर पर तालाब हैं ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत जलोदखेता जिला धार के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक क्यू 2013 दिनांक 25/4/2013 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य

	से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Additional tree to be planted -
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पूर्व दिशा—आबादी लगभग 118 मी. पर इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 82 मी. का सेटबैक गैर खनन क्षेत्र में छोड़ा गया है। पूर्व दिशा में खदान के साईट आफिस 41 मी. पश्चिम दिशा—पक्की रोड लगभग 170 मी. पर इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 30 मी. का गैर खनन क्षेत्र में छोड़ा गया है। खदान क्षेत्र के दक्षिण—पूर्व दिशा एवं पश्चिम दिशा में स्ट्रेक्चर एवं शेड्स हैं। किसी तरह का आवास नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—43 के सरल क्रमांक—06 पर दर्ज है।

ADS issued in the 752th SEAC meeting dated 16/05/2024

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. इमेज/कोर्डिनेट्स, माइनिंग प्लान में दिये गये कोर्डिनेट्स से भिन्न है, अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक इस खदान के को—आर्डिनेट संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर समिति के समक्ष पुनः ऑन—लाईन (ए.डी.एस. के पश्चात्) प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

ADS issued in the 762th SEAC meeting dated 03/06/2024

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि खनिज अधिकारी कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, द्वारा पत्र क्रमांक 981 दिनांक 15/04/2024 के माध्यम से खदान क्षेत्र के को—आर्डिनेट संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत अतिरिक्त अक्षांश—देशांश प्रस्तुत किये गये हैं। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा संशोधित अक्षांश/देशांश के आधार पर प्रकरण को प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
--	----------------------------------

लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	फेसिंग कार्य 40 प्रतिशत
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	आंशिक रूप से
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	आंशिक रूप से
अनुमोदित माइनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति।	आंशिक रूप से
पौधारोपण की स्थिति	30 पौधे लगाए गए
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट ।	साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि खदान क्षेत्र के 200 मी. के अन्दर कुछ रहवासी मकान एवं शेड्स दिखाई दे रहे हैं, परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि SE एवं West डायरेक्शन में ढाँचे हैं किसी तरह का आवास नहीं है।

प्रस्तुतीकरण के के पश्चात् समिति ने निर्णय लिया कि इस संबंध में संबंधित ग्राम-पंचायत से खदान क्षेत्र के 200 मी. के अन्दर स्थित कुछ रहवासी मकान एवं शेड्स के बारे में जानकारी प्रमाणीकृत कराकर समिति के समक्ष पुनः ऑन-लाईन (ए.डी.एस. के पश्चात्) प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

प्रस्तावित खदान B2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 26.07.2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स अपेक्स मिनटेक, उदयपुर (राज.) उपस्थित हुए। समिति द्वारा परिवेश पोर्टल पर क्वेरी रिप्लाई का परीक्षण भी किया।

पर्यावरण सलाहकार समिति के समक्ष उपरोक्त संबंध में प्रस्तुत किया कि प्रकरण में पर्यावरणीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह क्षेत्र non-blasting घोषित किया गया है। फलस्वरूप, किसी भी प्रकार की controlled blasting अथवा अन्य blasting गतिविधि नहीं की जाएगी एवं इस संबंध में नॉन-ब्लास्टिंग का माइनिंग प्लान पोर्टल पर प्रस्तुत किया है तथा कार्यालय ग्राम पंचायत जलोदखेता जनपद पंचायत बदनावर, जिला धार का पत्र दिनांक 21/11/24 प्रस्तुत किया। पत्र में उल्लेख है कि दक्षिण पूर्वी एवं पश्चिमी दिशा में कुछ मकान/ढाँचे हैं जो कि परियोजना प्रस्तावक की निजी भूमि खसरा नं. 152 पर बने हुए अस्थाई ढाँचे हैं जो कि

मजदूरों के विश्राम कक्ष एवं मिनरल स्टॉक के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। इस ढांचे में किसी भी तरह का आवास उपयोग में नहीं लिए जाते हैं।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	650 मीटर लम्बाई में पूर्ण रूप से फेंसिंग की गई है।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बैरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	बैरियर जोन में 80 वृक्ष लगे हुए हैं 620 मीटर लम्बाई के वैधानिक क्षेत्र में से 200 मीटर खुदे क्षेत्र का पुनर्भरण कर लिया गया है
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	लगभग 50 प्रतिषत पायी गई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 1000 पेड़ लगाये गये एवं 300 पेड़ बांटे गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत ग्राम के विकास एवं सोषल वेलफेयर (सामाजिक कल्याण) हेतु बहु उद्देशीय कृषि सहकारी सोसाइटी के ग्राउंड में बिछाने के लिए गिट्टी आदि का सहयोग किया एवं वृक्षारोपण में सहयोग प्रदान किया। जिसके साक्ष्य पत्र दिनांक 28/06/2025 में दिया गया है

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता – स्टोन गिट्टी –**10,769** घनमीटर/वर्ष
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खनन हेतु ब्लास्टिंग प्रक्रिया प्रस्तावित नहीं है।
3. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में क़शर प्रस्तावित है । म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क़शर /एम सेंड प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जावेगी।
- 4.
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 10.14 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.47 लाख प्रति वर्ष।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु 1.50 लाख तथा सी ई आर में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 1 वर्ष में पूर्ण किये जाये ।

सी.ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि		
1.	ग्राम मानपुरा के शासकिय मा. विद्यालय मे 2 किलो वाट का सोलर पेनल स्थापित किया जायेगा।	1,20,000/-
	पर्यावरण संरक्षण जागरूकता हेतु वॉल पेंटिंग की जाएगी	30,000/-
	योग	1,50,000/-

7. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम **2400** वृक्षों का वृक्षारोपण ।

3. Case No. P2/837/24 Ms. PRABHA KALWA, 07, Owner, Yashwant Marg, Mahidpur, Dist.-Ujjain(MP). Prior Environment Clearance for Stone (Gitti) in an area of 0.750 ha. (Stone (Gitti) – 3500 m³/Year) (Khasra No. 571/1), Village Kuchdod, Tehsil Jeeran, Dist. Neemuch (Madhya Pradesh) [468662] ((Referred back) (B2)

- **Earlier this case was Recommended in 762th SEAC meeting Dated 03/06/2024.**
- **SEIAA Referred back this case in 880th SEIAA meeting dated 22/04/2025**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 762वीं बैठक दिनांक 03.06.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैंडर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर आवेदित ऑनलाइन आवेदन खसरा नम्बर 571/1 के लिये किया गया है एवं पोर्टल पर अपलोड लीज स्वीकृति पत्र, अनुमोदित खनन योजना, एकल प्रमाण पत्र भी खसरा नम्बर 571/1 ही अंकित है परंतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में खसरा नम्बर 57/1 अंकित है। SEAC द्वारा 762वीं बैठक दिनांक 03.06.2024 में प्रकरण में अनुशंसा किस खसरा नम्बर के लिये की गई है एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में किस खसरा नम्बर पर खनन किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण का परीक्षण जिला कलेक्टर से करवाये जाने उपरांत अनुशंसा सहित प्रेषित किये जाने हेतु प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये।

प्रस्तावित खदान B2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 26.07.2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष सिया द्वारा चाही गई जानकारी के संबंध में प्रस्तुतीकरण किया गया।

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में डिया की पर्यावरण स्वीकृति में खसरा नं; 57/1 में ही खनन कार्य किया गया। इस संबंध में उनके द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन का पत्र क्रमांक 1258 दिनांक 02/06/25 प्रस्तुत किया गया। पत्र में उल्लेख है कि तत्संबंध में उक्त उत्खनिपट्टा ग्राम बंजारी तहसील महिदपुर जिला उज्जैन क्रमांक 571/1 रकबा 0.750 है० अवधि दिनांक 10.03.2018 से 09.03.2028 आगामी 10 वर्षों स्वीकृत है जिसमें टकण त्रुटिवश 571/1 के स्थान पर 57/1 टंकित हो गया है जिसे 571/1 मान्य करने का अनुरोध है।

उपरोक्त संबंध में समिति us निर्णय लिया कि उक्त उत्खनिपट्टा ग्राम बंजारी तहसील महिदपुर जिला उज्जैन क्रमांक 571/1 रकबा 0.750 है० अवधि दिनांक 10.03.2018 से

09.03.2028 आगामी 10 वर्षों स्वीकृत है, अतः वास्तविक खसरा नं 571/1 ही मान्य किया जावे । अतः सेक 762वीं की बैठक दिनांक 03/06/24 में पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये की गई अनुशंसाओं की यथावत रखती है।

4. Case No P2/1577/2025 MUKESH KANSAL, Owner, 27/2, Shivaji Marg, Barwaha, West Nimar, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Stone (Gitti) Quarry in an area of 3.0 ha. (Gitti – 30020 cum per year) (Khasra No. 651, 652, 653/2, 654/2, 655, 634/2 (Pvt. Land).), village Morghari, Tehsil Punasa, District Khandwa (M.P.) (MP) [478506] (B2) (DEIAA)

प्रस्तावित खदान B2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 26.07.2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स अपेक्स मिनटेक, उदयपुर (राज.) उपस्थित हुए। समिति द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोडेड किये गये दस्तावेजों का परीक्षण भी किया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	MUKESH KANSAL, Owner, 27/2, Shivaji Marg, Barwaha, West Nimar	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	651, 652, 653/2, 654/2, 655, 634/2 (निजी भूमि)	3.0 hectare.
स्थल	ग्राम मोरगढी, तहसील पुनासा, जिला खंडवा (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खंडवा के पत्र क्रमांक 268 दिनांक 17/02/2017 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
क्रेशर की स्थिति	लीज क्षेत्र के बाहर है।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया	
डिया ईसी का विवरण (यदि लागू हो)	डिया खण्डवा के पत्र क्रमांक 95 दिनांक 25/9/2017 के द्वारा पत्थर - 30020 घनमीटर/प्रतिवर्ष की पर्यावरणीय अनापति प्राप्त है।	
लीज क्षेत्र में क्रेशर की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 33.9 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित नहीं है।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ----- द्वारा ----- दिनांक ----- जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की वैधता.....	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर (गिटटी) - 30020 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर (गिटटी) - 30020 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खण्डवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1051 दिनांक 30/11/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, जिसका कुल	

	रकबा 3.0 अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है। (पट्टाधारी श्री मुकेश पिता श्री प्रेमनारायण कंसल निवासी 27 शिवाजी मार्ग बडवाह जिला खरगोन के पक्ष में ग्राम मोरघडी तहसील पुनासा जिला खण्डवा निजी भूमि खसरा क्रमांक 650/1,2,3,4 रकबा 3.0 हे. क्षेत्र पर खनिज पत्थर/गिट्टी (स्टोन क्रेशर) आधारित उत्खनिपट्टा अवधि दिनांक 20/12/2011 से 27/12/2021 तक स्वीकृत थी, जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। वर्तमान में उक्त खदान बंद होकर अंसंचालित है)
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण एसईजेड /से दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खण्डवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1051 दिनांक 30/11/2023 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खण्डवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1051 दिनांक 30/11/2023 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खण्डवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1051 दिनांक 30/11/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	कार्यालय ग्राम पंचायत मोरघडी जिला खण्डवा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 15 दिनांक 12/1/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य हेतु कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	पर्यावरण सलाहकार ने अवगत कराया कि लीज क्षेत्र के दक्षिण दिशा में बेरियर जोन में कुछ पेड लगे हैं जो नहीं जाएंगे।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- प्राकृतिक नाला 45मी
	दक्षिण दिशा- नहर-248 मी. तथा दक्षिण पश्चिम दिशा-चैनल गेट 258मी.
	पूर्व दिशा-कच्चा रोड 40 मी. 10 मी. का गैर खनन क्षेत्र प्रस्तावित किया है।
	पश्चिम दिशा- नहर-220 मी.
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज न. 45 के सरल क्रमांक 25 पर दर्ज है।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति

के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेंसिंग की वर्तमान स्थिति	फेंसिंग कार्य 80 प्रतिशत स्वीकृत क्षेत्र के चारों ओर तार फेंसिंग का कार्य करके ही खदान पर काम कर रहे हैं कुछ क्षेत्र में फेंसिंग खराब हो गई है उसे सुधारा जा रहा है।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	बेरियर जोन की मरम्मत का कार्य चल रहा है।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	आंशिक रूप से
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेंस की स्थिति ।	आंशिक रूप से
पौधारोपण की स्थिति	खदान क्षेत्र में 70-80 पौधे लगाए हैं और अभी लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही हमने लगभग 40 पौधे माइन रोड पर लगाए हैं और कुछ पौधे हमें गांव में दिए हैं जिससे वो लगाए।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट ।	मैदान समतलीकरण के संबंध में प्रमाणित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया श्री श्याम साईं सदन - श्री संस्थान को मुरुम प्रदान किया गया और जेसीबी व डम्पर की सहायता से उनके परिसर का समतलीकरण कार्य किया गया। श्री श्याम साईं सदन - श्री संस्थान को 500 फूलों के पौधे और बागवानी उपकरण प्रदान किए गए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण एवं निम्नलिखित पर्यावरण प्रबंधन योजना, प्रस्तावित पौधारोपण योजना एवं सी.ई.आर अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य पाई गई।

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता – स्टोन गिट्टी –30,020 घनमीटर/वर्ष
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में कशर प्रस्तावित नहीं है।
3. ब्लास्टिंग प्रक्रिया में नियमानुसार सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन करते हुए आसपास के राहगीरों/कृषि भूमि/संरचना/पर्यावरण/जल निकायो/वृक्षों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 13.95 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.57 लाख प्रति वर्ष।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु 1.50 लाख तथा सी ई आर में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये ।

सी.ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि		
1.	ग्राम मोरघरी के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में 3 किलो वाट का सोलर पेनल स्थापित किया जायेगा।	1,50,000
योग		1,70,000/-

6. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण ।

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किये गये ओएम दिनांक 14/01/2025 के परिप्रेक्ष्य में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कमेन्ट्स/सीटीई (अद्यतन) की प्रति परिवेश पोर्टल पर अपलोड करें। जानकारी प्राप्त होते ही प्रकरण पर पर्यावरणीय स्वीकृति अनुषंसा हेतु प्रकरण अग्रेषित किया जाएगा।

5. Case No P2/1579/2025 MAHENDRA RATHORE, Lessee, R/o-451,Garhghati,Village Runija ,Tehsil Badnagar & Dustrict Ujjain (M.P) Prior Environment Clearance for Murrum in an area of 2.0 ha. (Murrum - 4000 cum per year (Khasra Number- 145, Near village-Runija, Tehsil- Badnagar District Ujjain (M.P.) [501964] (B2) (DEIAA).

प्रस्तावित खदान B2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 26.07.2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स अपेक्स मिनटेक, उदयपुर (राज.) उपस्थित हुए। समिति द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोडेड किये गये दस्तावेजों का परीक्षण भी किया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	MAHENDRA RATHORE, Lessee, R/o-451,Garhghati,Village Runija ,Tehsil Badnagar & Dustrict Ujjain (M.P)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	145 (सरकारी भूमि)	2.0 hectare.
स्थल	ग्राम रुनिजा, तहसील बडनगर, जिला उज्जैन (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 647 दिनांक 22/03/2018 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया	
डिया ईसी का विवरण (यदि लागू हो)	डिया उज्जैन के पत्र क्रमांक 35 दिनांक 05/10/2018 के द्वारा मुरूम - 4000 घनमीटर/प्रतिवर्ष की पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
लीज क्षेत्र में क्रेशर की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 33.10 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित नहीं है।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन द्वारा 18334 दिनांक 09/5/2022 जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की वैधता 31/12/2026	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरूम- 4000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरूम- 4000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1284 दिनांक 20/07/2018 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, जिसका कुल रकबा 4.0 अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है। (पट्टाधारी श्री महेन्द्र सिंह जिसका रकबा 2.0 हे. पत्थर का है)।	

राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण एसईजेड /से दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1284 दिनांक 20/07/2018 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1284 दिनांक 20/07/2018 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है ।
तहसीलदार की अनापति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1284 दिनांक 20/07/2018 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापति	कार्यालय ग्राम पंचायत रुनिजा जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 19 दिनांक 17/8/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य हेतु कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि लीज क्षेत्र में कुल 05 पेड़ बेरियर जोन में हैं जो नहीं काटे जायेंगे
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा में एक शेड 61 मी. की दूरी पर है इस दिशा में 40 मी.गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा गया है।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सरल क्रमांक 07 पर दर्ज है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि लीज क्षेत्र के बेरियर जोन का पश्चिमी भाग खुदा हुआ है इस परिप्रेक्ष्य में पुर्नभरण का कार्य चल रहा है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

- डिया द्वारा जारी ईसी शर्तों का पालन प्रमुख रूप से लीज एरिया के चारो ओर फेन्सिंग, वृक्षारोपण, गारलैण्ड ड्रेन, सेटलिंग टैंक का निर्माण, बैरियर जोन संरक्षण की स्थिति आदि संबंधित जियोटेग फोटोग्राफ तथा सीईआर कार्यों संबंधित प्रमाणित दस्तावेज।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किये गये ओएम दिनांक 14/01/2025 के परिप्रेक्ष्य में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कमेन्ट्स/सीटीई (अद्यतन) की प्रति परिवेश पोर्टल पर अपलोड करें।

- प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गर्थ के फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
- समिति के सुझाव अनुसार संशोधित ईएमपी योजना प्रस्तुत करें।

6. Case No P2/1581/2025 Rashmi Mishra, Partner, SHREE PREM INFRASTRUCTURE, R/o-101/ I Block, Ocean Park Nipania Indore, M.P. Prior Environment Clearance for Stone in an area of 1.80 ha. (Stone - 12000 cum per year (Khasra Number- 75/1/2, Village Rangwasa, Tehsil Depalpur, District Indore (M.P.) [470553] (B2) (DEIAA).

प्रस्तावित खदान B2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 26.07.2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स अपेक्स मिनटेक, उदयपुर (राज.) उपस्थित हुए। समिति द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोडेड किये गये दस्तावेजों का परीक्षण भी किया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Rashmi Mishra, Partner, SHREE PREM INFRASTRUCTURE, R/o-101/ I Block, Ocean Park Nipania Indore, M.P.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	75/1/2 (सरकारी भूमि)	1.80 hectare.
स्थल	ग्राम रंगवासा, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के पत्र क्रमांक 2 दिनांक 05/01/2010 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया	
डिया ईसी का विवरण (यदि लागू हो)	डिया इंदौर के पत्र क्रमांक 232 दिनांक 10/12/2018 के द्वारा स्टोन - 12000 घनमीटर/प्रतिवर्ष की पर्यावरणीय अनापति प्राप्त है।	
लीज क्षेत्र में क्रेशर की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 33.10 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित नहीं है।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इंदौर द्वारा Outward No:18841 दिनांक 29/02/2020 जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की वैधता grant consent up to 30/01/2023,	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन -12000 घनमीटर/प्रतिवर्ष/ हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन -12000 घनमीटर/प्रतिवर्ष/ है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1272 दिनांक निरंक के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण एसईजेड /से दूरी कोर/ जैव विविधता	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1272 दिनांक निरंक के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	

बफर	
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1272 दिनांक निरंक के अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1272 दिनांक निरंक के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	कार्यालय ग्राम पंचायत रंगवासा जिला इंदौर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक क्यू दिनांक 15/7/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य हेतु कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existing within lease area – No.
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पूर्व दिशा - प्राकृतिक नाला – 124 मी. एवं उत्तर दिशा में हॉलेज रोड
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सरल क्रमांक 63 पर दर्ज है ।

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

- डिया द्वारा जारी ईसी शर्तों का पालन प्रमुख रूप से लीज एरिया के चारों ओर फेन्सिंग, वृक्षारोपण, गारलैण्ड ड्रेन, सेटलिंग टैंक का निर्माण, बैरियर जोन संरक्षण की स्थिति आदि संबंधित जियोटेग फोटोग्राफ तथा सीईआर कार्यों संबंधित प्रमाणित दस्तावेज।
- गूगल इमेज के अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें परिलक्षित हो रही हैं अतः जिला खनिज अधिकारी से लीज क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/ संचालित खदानों की जानकारी प्रस्तुत करें।

7. Case No P2/1582/2025 Shri RAM PRASAD PATIDAR, Project Proponent, R/o- Gangakhedi, Tehsil-Sitamau, District-Mandsaur M.P. Prior Environment Clearance for Stone (Gitti) and M-Sand in an area of 1.70 ha. (Stone (Gitti) - 3000 m3/Year and M-Sand – 5500 m3/Year) (Khasra Number- 26/2 (Govt. Land) Village Daloda Rail Tehsil Daloda, Dist Mandsaur (M.P.) [468275] (B2) (DEIAA)

प्रस्तावित खदान B2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 26.07.2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स अपेक्स मिनटेक, उदयपुर (राज.) उपस्थित हुए। समिति द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोडेड किये गये दस्तावेजों का परीक्षण भी किया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri RAM PRASAD PATIDAR, Project Proponent, R/o- Gangakhedi, Tehsil-Sitamau, District-Mandsaur M.P.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	26/2 (सरकारी भूमि)	1.70 hectare.
स्थल	ग्राम दलौदा रेल, तहसील दलौदा, जिला मंदसौर (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के पत्र क्रमांक 1732 दिनांक 21/09/2023 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया	
डिया ईसी का विवरण (यदि लागू हो)	डिया इंदौर के पत्र क्रमांक 101 दिनांक 30/05/2016 के द्वारा स्टोन - 8550 घनमीटर/प्रतिवर्ष की पर्यावरणीय अनापति प्राप्त है।	
लीज क्षेत्र में क्रेशर की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 33.10 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित नहीं है।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इंदौर द्वारा Outward No: 19013 दिनांक 10/10/2022 जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की वैधता grant consent up to 21/08/2024	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन -8550 घनमीटर/प्रतिवर्ष/ हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन -8550 घनमीटर/प्रतिवर्ष/ है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के पत्र क्रमांक 159 दिनांक 5/2/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, जिसका कुल रकबा 3.70 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	

राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण एसईजेड /से दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के पत्र क्रमांक 159 दिनांक 5/2/2024 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के पत्र क्रमांक 159 दिनांक 5/2/2024 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के पत्र क्रमांक 159 दिनांक 5/2/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	कार्यालय ग्राम पंचायत दलौदा रेल जिला मंदसौर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 03 दिनांक 15/4/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य हेतु कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि लीज क्षेत्र बेरियर जोन में 90 पेड़ हैं जो नहीं काटे जायेंगे
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- पक्का रोड 36 मी एवं 63 मी
	उत्तर पूर्व दिशा- शेड 55 मी
	पश्चिम दिशा-हॉलेज रोड 130 मी
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज क्रमांक 39 सरल क्रमांक 70 पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
--	----------------------------------

लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	540 मीटर की लम्बाई में से 470 मीटर पर फेंसिंग की गई है एवं 70 मीटर पर फेंसिंग शेष है
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बैरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	बैरियर जोन में 90 वृक्ष लगे हुए हैं 7.50 का वैधानिक क्षेत्र खुदा हुआ नहीं है
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	लगभग 90 प्रतिषत पायी गई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 90 पेड़ लगाये गये एवं 200 पेड़ बांटे गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक विकास के लिए जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से हमारे द्वारा विभिन्न सीईआर गतिविधियाँ की जाती हैं। जिसके साक्ष्य पत्र राजस्व शाखा 476 दिनांक 28 / 05 / 2025 में दिया गया है

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि क्रेशर लीज क्षेत्र के अंदर प्रस्तावित है जबकि एम-सेंड प्लांट लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्तावित है। लीज क्षेत्र के उत्तर दिशा में पक्का रोड 36 मी. एवं 63 मी की दूरी पर है अतः 100मी. तक का क्षेत्र गैर खनन (0.73हे.) प्रस्तावित किया गया है। प्रकरण में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता **Stone (Gitti) - 3000 m3/Year and M-Sand – 5500 m3/Year.**

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 7.56 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रु. 5.05 लाख प्रति वर्ष।

परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में कशर प्रस्तावित है । म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।

परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खनन हेतु ब्लास्टिंग प्रक्रिया प्रस्तावित नहीं है।

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये:-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
ग्राम दलौदा के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में 2 किलो वाट का सोलर पेनर स्थापित किया जायगा।	1,20,000
ग्राम दलौदा के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रेणादायक पेंटिंग की जाएगी	30,000
कुल	1,50,000

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2500 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जावेगा ।

8. Case No P2/1587/2025 Shri MANOJ CHOUDHARI, Proponent, 127, Pavpuri dham, Goylabujurg, Indore road, M.I. Nagar, Ujjain (M.P.) Prior Environment Clearance for Kesarpur Stone Quarry Production - 10260 cum per year , area -2.33 ha. at Khasra Number- 23/1/1, Near village- Kesarpur, Tehsil- Ghattiya District Ujjain (M.P.) [502047] (B2) . (DEIAA)

प्रस्तावित खदान B2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 26.07.2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स अपेक्स मिनटेक, उदयपुर (राज.) उपस्थित हुए। समिति द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोडेड किये गये दस्तावेजों का परीक्षण भी किया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri MANOJ CHOUDHARI, Proponent, 127, Pavpuri dham, Goylabujurg, Indore road, M.I. Nagar, Ujjain (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	23/1/1 (सरकारी भूमि)	2.33 hectare.
स्थल	ग्राम केशरपुर, तहसील घटिया, जिला उज्जैन (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 121 दिनांक 24/01/2019 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया	
डिया ईसी का विवरण (यदि लागू हो)	डिया उज्जैन के पत्र क्रमांक 1176 दिनांक 31/05/2016 के द्वारा स्टोन - 10260 घनमीटर/प्रतिवर्ष की पर्यावरणीय अनापति प्राप्त है।	
लीज क्षेत्र में केशर की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 33.10 अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित नहीं है।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन द्वारा Outward No: 18394 दिनांक 23/05/2022 जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की वैधता grant consent up to 31/12/2025	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन (गिट्टी) 10,260 घनमीटर/प्रतिवर्ष/ हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन (गिट्टी) 10,260 घनमीटर/प्रतिवर्ष/ है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 286 दिनांक 7/3/2022 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, जिसका कुल रकबा 3.70 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
राष्ट्रीय उद्यान/	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 286	

अभ्यारण एसईजेड /से दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	दिनांक 7/3/2022 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 286 दिनांक 7/3/2022 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 286 दिनांक 7/3/2022 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	कार्यालय ग्राम पंचायत किठोदा जागीर जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक क्यू दिनांक 10/2/2022 है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि खदान क्षेत्र में लगभग 90 पेड़ लगाये गये हैं।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पश्चिम दिशा में 170 मी. की दूरी पर एक पक्का रोड है
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सरल क्रमांक 5 पर दर्ज है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि लीज क्षेत्र का पूर्वी हिस्सा संकीर्ण है अतः इस क्षेत्र को गैर खनन प्रस्तावित किया गया है एवं इसमें पौधारोपण कार्य प्रस्तावित किया है। लीज के समीप ही पूर्व दिशा में शेड है अतः 200मी. तक का क्षेत्र एवं पश्चिम दिशा में 170 मी. की दूरी पर एक पक्का रोड है अतः 30 मी. क्षेत्र गैर खनन प्रस्तावित किया गया है कुल 2.33 हे. में से खनन हेतु 1.20 हे. क्षेत्र उपलब्ध होता है।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेंसिंग की वर्तमान स्थिति	840 मीटर की लम्बाई में सड़ 20 मीटर पर फेंसिंग की गई है एवं 120 मीटर पर फेंसिंग बाकि है
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बैरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	बैरियर जोन में 90 वृक्ष लगाए गए हैं। 7.50 का वैधानिक क्षत्र खुदा हुआ नहीं है
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	लगभग 70 प्रतिशत पायी गई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 90 पेड़ लगाये गये एवं 100 पेड़ बांटे गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक विकास हेतु, जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से, हम विभिन्न ईएसआर गतिविधियाँ संचालित करते हैं। इनमें से कुछ गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं: ग्राम पंचायत पिपलोदा, द्वारकाधीश को 20 मिमी आकार की 2 ट्रक गिट्टी उपलब्ध कराई गई और नियमित सामाजिक कार्य भी किए गए। जिसके साक्ष्य पत्र Panchayat/236 दिनांक 06/03/2024 में दिया गया है

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन (गिट्टी) 10,260 घनमीटरप्रतिवर्ष/

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 7.21 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु 3.18 लाख प्रति वर्ष।

परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।

ब्लास्टिंग प्रक्रिया में नियमानुसार सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन करते हुए आसपास के राहगीरों/कृषि भूमि/संरचना/पर्यावरण/जल निकायो/वृक्षों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये:-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
पानबिहार शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय स्कूल में 2 किलो वाट का सोलर पेनर स्थापित किया जायगा	1,20,000

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2800 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जावेगा ।

9. Case No P2/1588/2025 Shri LAXMINARAYAN CHAUHAN, Owner, 34, Sukhniwas, Rangwasa, Indore (M.P.) Prior Environment Clearance for Quarry of Murrum in an area of 1.70 ha. (Murrum – 6500 cum per year (Khasra No. 642), Village- Khandwa, Tehsil –Pithampur, District- Dhar (MP) [468162] (B2) (DEIAA).

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 26/7/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कंसलटेंट, उदयपुर उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri LAXMINARAYAN CHAUHAN, Owner, 34, Sukhniwas, Rangwasa, Indore (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	642 (सरकारी भूमि)	1.70 hectare.
स्थल	ग्राम खंडवा, तहसील पीथमपुर जिला धार (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के पत्र क्रमांक 1011 दिनांक 18/07/2016 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया	
डिया ईसी का विवरण (यदि लागू हो)	डिया धार के पत्र दिनांक 25/03/2018 के द्वारा मुरूम - 10000 घनमीटर/प्रतिवर्ष की पर्यावरणीय अनापति प्राप्त है ।	
लीज क्षेत्र में क्रेशर की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 33.10 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित नहीं है प्रकरण मुरूम का है।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन द्वारा Outward No:28727 दिनांक 06/03/2025 जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की वैधता grant consent up to 31/03/2025	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरूम 6500 घनमीटरप्रतिवर्ष/ हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरूम 6500 घनमीटरप्रतिवर्ष/ है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के पत्र क्रमांक 463 दिनांक 22/2/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में 10 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, जिसका कुल रकबा 32.70 हे. (जिसमें 09 खदानें पत्थार की जिनका रकबा 31.0 हे. है तथा एक खदान मुरूम का जिसका रकबा 1.70 हे. होता जो कि परियोजना प्रस्तावक की खदान है), अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	

राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण एसईजेड /से दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के पत्र क्रमांक 463 दिनांक 22/2/2024 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के पत्र क्रमांक 463 दिनांक 22/2/2024 के अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के पत्र क्रमांक 463 दिनांक 22/2/2024 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	कार्यालय ग्राम पंचायत खंडवा जिला धार के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 01 दिनांक 02/10/2025 है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि खदान क्षेत्र में 40पेड़ लगे हुए हैं जो नहीं काटे जायेंगे
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि खदान क्षेत्र के अंदर से हॉलेज रोडें निकल रही हैं। उत्तर पूर्व दिशा-संजय जलाशय-800 मी.
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज क्रमांक 22 एवं सरल क्रमांक 54 पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	570 मीटर की लम्बाई में से 220 मीटर पर फेंसिंग की गई है एवं 300 मीटर पर फेंसिंग बाकि है
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बैरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	बैरियर जोन में 40 वृक्ष लगे हुए हैं 7. 50 का वैधानिक क्षेत्र 570 मीटर लम्बाई के वैधानिक क्षेत्र में से 120 मीटर क्षेत्र खुदा हुआ है जिसका पुनर्भरण कर दिया जायेगा
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	लगभग 70 प्रतिशत पायी गई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 40 पेड़ लगाये गये एवं 100 पेड़ बांटे गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	माध्यमिक विद्यालय खंडवा को 8 ट्रक मुरुम उपलब्ध कराई गई तथा समतलीकरण कार्य के लिए जेसीबी उपलब्ध कराई गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन **Murrum – 6500 cum per year** घनमीटरप्रतिवर्ष/

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 6.64 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रु 4.78 लाख प्रति वर्ष।

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये:-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
---------------------------------------	---------------

गांव खण्डवा के स्कूल में रंग रोगण एवं पेन्टिंग किया जायेगा।	60,000
---	--------

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2040 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जावेगा।

10. Case No P2/1602/2025 BADRILAL SANGITLA, Lessee, 142-Vikarm Marg, Khachrod, Ujjain (M.P.) Prior Environment Clearance for M/s Kasba Khachrod Stone Gitti Quarry, Stone (Gitti) Quarry and M-Sand in an area of 1.50 ha. (Gitti - 3990 cum per year and M-Sand 12000 cum per year) (Khasra No. 4513/4, 4513/3 and 4513/2 Govt. Land), Village- Kaswa Khachrod Tehsil Khachrod District-Ujjain (MP) [468348] (B2) (DEIAA).

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 26/7/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कंसलटेंट, उदयपुर उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री BADRILAL SANGITLA, Lessee, 142-Vikarm Marg, Khachrod, Ujjain (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	4513/4, 4513/3, 4513/2 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड भू स्वामी की सहमति परियोजना प्रस्तावक को प्राप्त है)	1.5 hectare.
स्थल	Village- KHACHROD Tehsil - Khacharod District – Ujjain (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक 4035 दिनांक 01/03/2017 के द्वारा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	No blasting will be done.	
प्रकरण की स्थिति	DEIAA प्रकरण।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया उज्जैन के पत्र क्रमांक 2337 दिनांक 16/10/17 के द्वारा पत्थर-3990 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापति प्राप्त है।	
लीज क्षेत्र में क्रेशर की स्थिति	स्टोर क्रेशर एवं एम्स एंड प्लांट लीज क्षेत्र के बाहर है।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन के पत्र Outward No:17500 दिनांक 15/11/2021 के द्वारा जारी संचालन सम्मति (सीटीओ) की वैधता दिनांक 31/05/2024 तक थी ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-3990 घनमीटर/वर्ष एवं एम-सैंड-12000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-3990 घनमीटर/वर्ष एवं एम-सैंड-11,999.80 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र	

परिधि में अन्य खदानें	क्रमांक10351 दिनांक 06/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण एसईजेड से दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक10351 दिनांक 06/12/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक10351 दिनांक 06/12/2023 अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है।
तहसीलदार की अनापति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक10351 दिनांक 06/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापति	नगर पालिका परिषद, खाचरोद जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक-176 दिनांक 25/01/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य हेतु अनुमति दी जाती है तो निकाय को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि लीज क्षेत्र में कुल 60 पेड़ हैं जो नहीं काटे जायेंगे।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पश्चिम दिशा- Isolated house 353 Mtr. पूर्व दिशा- Pucca Road 289 Mtr. पश्चिम दिशा- Pucca Road 158 Mtr.
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-43 के सरल क्रमांक-27 पर दर्ज है।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	410 मीटर की लम्बाई में से 210 मीटर पर फेंसिंग की गई है एवं 200 मीटर पर फेंसिंग बाकि है
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बैरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	बैरियर जोन में 60 वृक्ष लगे हुए हैं 7. 50 का वैधानिक क्षेत्र खुदा हुआ नहीं है
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	लगभग 60 प्रतिशत पायी गई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 60 पेड़ लगाये गये एवं 950 पेड़ बांटे गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	ग्राम पंचायत दलोदा रेल को 2 ट्रक झुर्री उपलब्ध कराई गई। साथ ही, सफाई और समतलीकरण का कार्य भी किया गया। ग्राम पंचायत दलोदा रेल में सार्वजनिक श्मशान स्थल के पास 50 पौधे लगाए गए।। जिसके साक्ष्य पत्र Q/25 दिनांक 25/07/2025 में दिया गया है

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर- 39,90 घनमीटर/वर्ष एवं एम- सेंड- 12,000 घनमीटर/वर्ष ।
 1. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में कशर /एम सेंड प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है।
 2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खनन हेतु ब्लास्टिंग प्रक्रिया प्रस्तावित नहीं है।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 07.92 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रु. 3.14 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये:-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
क्रस्बा खाचरोद में शासकीय माध्यमिक विद्यालय में 3 किलो वाट का सोलर पेनल स्थापित किया जायगा	1,50,000

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1800 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जावेगा ।

11. Case No P2/1603/2025 VAJEKUNWAR PATIDAR, Lessee, Sitamau, Dist- Mandsaur (M.P.) Prior Environment Clearance for M/s Bilantri Stone Gitti Quarry, Stone (Gitti) Quarry in an area of 2.0 ha. (Gitti – 30,000 cum per year and M-Sand 30000 cum per year) (Khasra No. 471), Village- Bilantri, Tehsil and District- Mandsaur (MP) [469172] (B2) (DEIAA)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए प्राइजल का है, जिसमें आज दिनांक 26/07/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स Apex Mintech Consultant, उदयपुर उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री VAJEKUNWAR PATIDAR, Lessee, Sitamau, Dist- Mandsaur (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	471 (/सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 hectare.
स्थल	Village-BILANTRI Tehsil-Mandsaur District- Mandsaur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के पत्र क्रमांक 957 दिनांक 27/03/2017 के द्वारा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
प्रकरण की स्थिति	DEIAA प्रकरण।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया मंदसौर के पत्र क्रमांक 21 दिनांक 04/04/03/2017 के द्वारा पत्थर- 30,000 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
लीज क्षेत्र में केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्तावित है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर- 30000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर- 30000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1334 दिनांक 30/09/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य/ एसईजेड से दूरी कोर/ जैव	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1334 दिनांक 30/09/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	

विविधता बफर	
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1334 दिनांक 30/09/2024 अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1334 दिनांक 30/09/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बिलांत्री जिला मंदसौर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 14/04/2016 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य हेतु कोई आपत्ति नहीं है का प्रस्ताव पारित ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि लीज क्षेत्र के बेरियर जोन में लगे हुए 250 पेड़ों में से कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पूर्व दिशा- पक्का रोड 42 मी. एवं आबादी- 271 मी.
	दक्षिण दिशा- 225 पक्का रोड मी.
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-33 के सरल क्रमांक-25 पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेंसिंग की वर्तमान स्थिति	568 मीटर की लम्बाई में से 498 मीटर पर फेंसिंग की गई है एवं 70 मीटर पर फेंसिंग बाकि है

ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बैरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	बैरियर जोन में 250 वृक्ष लगे हुए हैं 7.50 का वैधानिक क्षेत्र खुदा हुआ नहीं है
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	लगभग 60 प्रतिशत पायी गई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 250 पेड़ लगाये गये एवं 50 पेड़ बांटे गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक विकास के लिए पीपी द्वारा विभिन्न सीईआर गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं। इनमें से कुछ गतिविधियाँ निम्नलिखित हैंः प्राथमिक विद्यालय बिलात्री में कमरों के रख-रखाव के लिए गिट्टी उपलब्ध कराई गई साथ ही बाड़ लगाने के लिए तार और ईंटें भी उपलब्ध कराई गई।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण में खनन कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा जिसमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है, अतः उनके द्वारा सक्षम अधिकारी से अनुमोदन उपरांत संशोधित रॉक-ब्रेकर आधारित खनिज योजना प्रस्तुत की जावेगी।

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

- सक्षम अधिकारी से अनुमोदित संशोधित रॉक-ब्रेकर आधारित खनिज योजना प्रस्तुत करें।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किये गये ओएम दिनांक 14/01/2025 के परिप्रेक्ष्य में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कमेन्ट्स/सीटीई (अद्यतन) की प्रति परिवेश पोर्टल पर अपलोड करें।

12.Case No P2/1614/2025 Smt. Senu Garg W/o Shri Tulsiram Garg R/o- Ward No. 4, Sarawagi Mohlla, Sheopur, District- Sheopur, – 476337. Prior Environment Clearance for M/s Sakudali Stone (Gitti) Quarry Production Capacity 4,000 cubic meters per year (Gitti) lease area 4.00 hectares Khasra No. - 14 (Govt. Land) Village- Sakudali, Tehsil- Sheorpur, District- Sheopur (M.P.). (DEIAA) [472398] (B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 26/07/2025 को परियोजना प्रस्तावक Smt. Senu Garg एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार Shri Amit Saxena, M/s Apex Mintech Consultants (Rajasthan) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना की रूपरेखा

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Smt. Senu Garg W/o Shri Tulsiram Garg R/o- Ward No. 4, Sarawagi Mohlla, Sheopur, District- Sheopur, – 476337. Prior Environment Clearance for M/s Sakudali Stone (Gitti) Quarry with a Production Capacity of 4,000 cubic meters per year of Gitti having a lease area of 4.00 hectares at Khasra No. - 14 (Govt. Land) Village- Sakudali, Tehsil- Sheorpur, District- Sheorpur (M.P.). (DEIAA) SIA/MP/MIN/472398/2024.	
आवेदन की स्थिति	Re-appraisal under Ministry OM dated 28.04.2023 & 15.03.2024.	
परियोजना का खसरा नं. /लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.— 14	एरिया — 4.00 ha., शासकीय भूमि
परियोजना स्थल	Village- Sakalkundi, Tehsil- Sheopur, District- Sheopur (M.P.).	
Description of Project	The Environmental Clearance is required for mining project for a targeted production of ROM 4000 cum per annum will be generated during the course of mining.	
सैधातिक सहमति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योपुर के पत्र क्र0. 8571 दिनांक 13/07/2017.	
परियोजना की श्रेणी	बी-2.	
जल/वायु सम्मति	CTO Consent No:CTE-72641 Dated: 26/12/2019[for stone crusher]	
क्रेशर की स्थिति	लीज क्षेत्र के अंदर है।	
Intimation ID	DEIAA/33/2016//431/2017/973729.	
खनन् कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	Control Blasting	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	EC issued DEIAA Sheorpur vide letter no. 5418 dated 25/07/2017. Stone – 4,000 Cubic meters per year.	

उत्पादन क्षमता	➤ Stone – 4,000 Cubic meters per year.
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्यापुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 6094 दिनांक 14/05/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत नहीं है जिनका कुल रकबा 4.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्यापुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 6094 दिनांक 14/05/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्यापुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 6094 दिनांक 14/05/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है। ➤ 500 मी. की दूरी पर पक्का रास्ता है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	ग्राम पंचायत –दुबडी, जिला – श्यापुर का ठहराव प्रस्ताव क्र0. 02 दिनांक 15/12/2005 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में कुछ पेड लगे हुए हैं।
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	उत्तर पूर्व दिशा– जल रोकने की संरचना -32 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 15 के सरल क्रमांक – 04 पर दर्ज है।

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

- डिया द्वारा जारी ईसी शर्तों का पालन प्रमुख रूप से लीज एरिया के चारो ओर फेन्सिंग, वृक्षारोपण, गारलैण्ड ड्रेन, सेटलिंग टैंक का निर्माण, बैरियर जोन संरक्षण की स्थिति आदि संबंधित जियोटेग फोटोग्राफ तथा सीईआर कार्यों संबंधित प्रमाणित दस्तावेज।
- सक्षम अधिकारी से अनुमोदित संशोधित रॉक-ब्रेकर आधारित खनिज योजना प्रस्तुत करें।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किये गये ओएम दिनांक 14/01/2025 के परिप्रेक्ष्य में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कमेन्ट्स/सीटीई (अद्यतन) की प्रति परिवेश पोर्टल पर अपलोड करें।

- समिति द्वारा सुझाए अनुसार संशोधित ईएमपी एवं सीईआर योजना ।

13.Case No. P2/1618/25, Smt Madhuri Baghel W/o Shri Raja Singh Baghel, R/o: Pragti nagar, Sonkatch, Tehsil Sonkatch District Dewas, Madhya Pradesh, Prior Environment Clearance for Oad Stone Quarry in an area of 1.0 ha. [Stone 8000 m³/year], (Khasra No. 812/817, (Pvt. Land), Village- Oad, Tehsil- Sonkatch, District- Dewas (M.P.) [538974] (Fresh -B2).

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 26/07/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार शिशुपाल वर्मा FAE सुपर टेक एनवायर्नमेंटल सर्विसेज भोपाल मध्य प्रदेश उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Madhuri baghel, Lessee, R/o- Pragati Nagar Sonkatch, Tehsil-Sonkatch, District-Dewas, M.P	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	812/817 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड भू स्वामी की सहमति परियोजना प्रस्तावक को प्राप्त)	1.00 hectare.
स्थल	Village- Oad Tehsil- Sonkatch District Dewas (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के पत्र क्रमांक 5117 दिनांक 15/03/2024 के द्वारा 10 वर्ष के लिए स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खनन हेतु ब्लास्टिंग प्रक्रिया प्रस्तावित है।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण।	
लीज क्षेत्र में क्रेशर की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित नहीं।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन के पत्र Outward No:21948 दिनांक 23/05/2025 के द्वारा जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की वैधता दिनांक 30/04/2030 तक है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर- 8000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर- 8000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक	

परिधि में अन्य खदानें	875 दिनांक 01/08/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारणः एसईजेड से दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 875 दिनांक 01/08/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 875 दिनांक 01/08/2024 अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है ।
तहसीलदार की अनापति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 875 दिनांक 01/08/2024 अनुसार आवेदित क्षेत्र से 10 मीटर की दूरी पर ग्रामीण कच्चा रास्ता है (म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार है), शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापति	ग्राम पंचायत ओढ जिला देवास के ठहराव प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य हेतु कोई आपति नहीं है का प्रस्ताव पारित।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया की प्रस्तावित खदान क्षेत्र में स्थित पेड़ों की संख्या – 2 काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या – 1
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा —उत्खनिपट्टे से उत्तर दिशा में 25 मीटर की दूरी पर कच्चा रोड स्थित है जिसके सम्बन्ध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि अनुमोदित खनन योजना अनुसार कच्चा रोड से 50 मीटर तक खनन कार्य नहीं किया जावेगा।
	पश्चिम दिशा —उत्खनिपट्टे से पश्चिम दिशा में 25 मीटर की दूरी पर कच्चा रोड स्थित है जिसके सम्बन्ध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि अनुमोदित खनन योजना अनुसार कच्चा रोड से 50 मीटर तक खनन कार्य नहीं किया जावेगा।
	पूर्वी दिशा — उत्खनिपट्टे से पूर्वी दिशा में 270 मीटर की दूरी पर एक चेक डैम स्थित है। — उत्खनिपट्टे से दक्षिण पूर्वी दिशा में 300 मीटर की दूरी पर एक मंदिर स्थित है एवं 325 मीटर की दूरी पर एक शेड बना हुआ है।

प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के पत्र क्रमांक 1581 दिनांक 15/10/2024 अनुसार उक्त खदान में संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर ली जावेगी । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 - जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।
--	--

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति द्वारा पाया गया कि प्रकरण हेतु प्रस्तुत पर्यावरण प्रबंधन योजना के पृष्ठ क्रमांक 12 के बिंदु 9 में उत्पादन क्षमता 30000 घन मीटर प्रति वर्ष दी गयी है जिसके सम्बन्ध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि उक्त पृष्ठ क्रमांक 12 में लिपिकीय त्रुटि के कारण उत्पादन क्षमता पत्थर 8000 घन मीटर प्रतिवर्ष की जगह 30000 घन मीटर प्रतिवर्ष लिखा गयी थी एवं पर्यावरण प्रबंधन योजना के अन्य पृष्ठों एवं साथ ही साथ अन्य प्रस्तुत दस्तावेजों में सही उत्पादन क्षमता 8000 घन मीटर प्रतिवर्ष पत्थर ही लिखी गयी गयी है जो कि सही उत्पादन क्षमता है एवं मान्य की जावे ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुषंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता – स्टोन – 8000 घनमीटर/वर्ष ।
2. ब्लास्टिंग प्रक्रिया में नियमानुसार सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन करते हुए आसपास के राहगीरों/कृषि भूमि/संरचना/पर्यावरण/जल निकायो/वृक्षों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी ।
3. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में कषर प्रस्तावित नहीं है ।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 6.69 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.41 लाख प्रति वर्ष ।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु 1.0 लाख तथा सी.ई.आर में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 1 वर्ष में पूर्ण किये जाये ।

सी.ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि		
1.	Solar panel system of 2 kW capacity will be installed at govt. middle school of village Oad (Excluding subsidy amount) & educational paintings on the wall of the same school	1,00,000/-
	योग	1,00,000/-

6. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1210 वृक्षों का वृक्षारोपण ।

14. Case No P2/1620/2025 ASLAM BEG, CHAARBAG, WARD NO. 3, SHEOPUR, District-Sheopur, (M.P.)- 476337. Prior Environment Clearance for M/s Ajapura Soil Quarry, Soil Quarry with a production capacity of 3,000 m³/year Soil having a lease area of 2.00 hectare, at Khasra No. 199/1 (Pvt. land) Village - Ajapura, Tehsil- Sheopur, District- Sheopur (M.P.).[539561] (B2)

प्रकरण आज सेक की 811वीं बैठक दिनांक 15/07/2025 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए एवं ऑनलाईन भी नहीं जुड़े। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से कोई सूचना भी प्राप्त नहीं है। प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

15. Case No P2/1611/2025 Rekha patel, Lessee, Village Khiriya Madla, Damoh (M.P.) Prior Environment Clearance for M/s Maandhpur Gitti, Boulder & M-sand Quarry, Stone Mine in an area of 2.485 ha. (Gitti-15,000m³, Boulder-1000m³ & M-sand-4000m³) (Khasra No. 123/3/1, 124/1, 124/2) Village – Maandhpur, Tehsil – Buxwaha, District- Chhatarpur (M.P.) [524589] (B2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 26/07/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार सुश्री गरिमा श्रीवास्तव ऑनलाइन, Aseries Envirotek India Pvt Ltd, Lucknow उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Rekha patel, Lessee, Village Khiriya Madla, Damoh (M.P.) Prior	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	123/3/1, 124/1, 124/2 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड भू- स्वामी परियोजना प्रस्तावक स्वयं)	2.485 hectare.
स्थल	Village – Tehsil –District- (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2047 दिनांक 29/11/2024 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	CONTROLLED BLASTING.	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण ।	
लीज क्षेत्र में क्लेशर की स्थिति	फार्म के सरल क्रमांक 16.9 अनुसार लीज क्षेत्र में क्लेशर एवं एम-सेंड प्लांट प्रस्तावित है।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर के पत्र दिनांक 30/05/2025 के द्वारा जारी स्थापना सम्मति (सीटीई) की वैधता दिनांक 29/04/2030 तक है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम उत्पादन क्षमता Gitti-15,000m ³ , Boulder-1000m ³ & M-sand-4000m ³ हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता Gitti-15,000m ³ , Boulder-1000m ³ & M-sand-4000m ³ है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 60 दिनांक 10/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि 01 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 04.074 होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
राष्ट्रीय उद्यान/	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक	

अभ्यारणः एसईजेड से दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	60 दिनांक 10/01/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 60 दिनांक 10/01/2024 अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है।
तहसीलदार की अनापति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 60 दिनांक 10/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापति	ग्राम पंचायत मुडिया जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-6 दिनांक 15/08/2024 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य हेतु अनापति का प्रस्ताव पारित।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- एचटी लाइन 280 मी. पश्चिम दिशा- कच्चा रास्ता 85मी.
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र दिनांक 03/02/2024 अनुसार उक्त खदान को अदधतन डीएसआर में शामिल किया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 - जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विषिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता Gitti-15,000m3, Boulder-1000m3 & M-sand-4000m3
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में क़शर /एम सेंड प्लान्ट प्रस्तावित है । म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क़शर /एम सेंड

प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जावेगी।

3. ब्लास्टिंग प्रक्रिया में नियमानुसार सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन करते हुए आसपास के राहगीरों/कृषि भूमि/संरचना/पर्यावरण/जल निकायो/वृक्षों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 23.63 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रु. 3.50लाख प्रति वर्ष ।

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये:-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
शासकीय उच्च माध्यमिक स्कूल, सुनवाहा में 2 KW का सोलर पैनल एवं 100 पौधे स्कूल में लगाएंगे	1,20,000

4. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1950 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जावेगा ।

16. Case No P2/1612/2025 Sujit kumar, Owner, S/O, Ram bahdur singh, Sherpur, Patna, Bihar. Prior Environment Clearance for M/s Ansera Crusher Stone Quarry, Stone Mine in an area of 1.424 ha. (12004 cum per annum) (Khasra No. 528) Village – ANSERA Tehsil – Waraseoni District- Balaghat (M.P.) [532025] DEIAA (B2).

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 26/07/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज मेसर्स Zenith Environment Consultancy उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री Sujit kumar, Owner, S/O, Ram bahdur singh, Sherpur, Patna, Bihar.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	528 (सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.424 hectare.
स्थल	Village – ANSERA Tehsil – Waraseoni District- Balaghat (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के पत्र क्रमांक 26 दिनांक 06/01/25 के द्वारा परियोजना प्रस्तावक को लीज अंतरित ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	Single row blasting.	
क्रेशर की स्थिति	लीज क्षेत्र के अंदर है ।	
प्रकरण की स्थिति	DEIAA प्रकरण।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया बालाघाट के पत्र क्रमांक 36 दिनांक 29/6/17 के द्वारा पत्थर-12004 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापति प्राप्त है।	
क्रेशर की स्थिति	आवेदित फार्म के सरल क्रमांक 33.10 अनुसार आवेदित स्थल पर क्रेशर प्रस्तावित है ।	
बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की स्थिति	बोर्ड द्वारा आउटवर्ड नं. 19816 दिनांक 27/03/21 को जारी सम्मति संचालन (सीटीओ) की वैधता दिनांक 14/03/24 तक तक वैध थी ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-12004 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर- 12004 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 220 दिनांक 10/03/25 अनुसार 500 मीटर की परिधि अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
राष्ट्रीय उद्यान/	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक	

अभ्यारणः एसईजेड से दूरी कोर/ जैव विविधता बफर	220 दिनांक 10/03/25 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल से 250 मीटर की दूरी पर वन क्षेत्र की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 220 दिनांक 10/03/25 अनुसार 250 मीटर की परिधि में वन क्षेत्र नहीं है।
तहसीलदार की अनापति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 220 दिनांक 10/03/25 अनुसार 160 मीटर की दूरी मरघट, 300 मीटर की दूरी पर आबादी, लगभग 350 मीटर की दूरी पर स्कूल, 200 मीटर की दूरी पर नाला एवं 100 मीटर की दूरी पर कच्चा रोड स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में स्थित नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापति	ग्राम पंचायत अंसेरा जिला बालघाट के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-12 दिनांक 24/01/17 अनुसार नियमानुसार उत्खनिपट्टा देने का प्रस्ताव पारित ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	पर्यावरणीय सलाहकार ने अवगत कराया कि लीज क्षेत्र में 6 पेड एवं कुछ झाड़ियां हैं। इनमें से कोई भी पेड काटा जाना प्रस्तावित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण पूर्व दिशा-पक्की सड़क-160मी., 40मी. का गैर खनन क्षेत्र प्रस्तावित है।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-43 के सरल क्रमांक18 पर दर्ज है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान डिया की शर्तों का पूर्व परियोजना प्रस्तावक द्वारा पालन नहीं किया गया है। यह खदान कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के पत्र क्रमांक 26 दिनांक 06/01/25 के द्वारा परियोजना प्रस्तावक को लीज अंतरित हुई है।

समिति ने परिक्षण के दौरान पाया कि प्रकरण को प्राप्त सीटीओ की अविधि दिनांक 14/03/24 को समाप्त हो चुकी है। अतः खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति शर्तों के पालन प्रतिवेदन के साथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किये गये ओएम दिनांक 14/01/2025 के परिप्रेक्ष्य में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कमेन्ट्स/सीटीई (अद्यतन) की प्रति परिवेश पोर्टल पर अपलोड करें। तत्पश्चात् प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

17. Case No 11175/2024 Shri Sanjay Rai, Owner, R/o Hotel Utsav Vilas, Sar Vallabh Bhai Patel Bridge, Hridaypur, District-Damoh (MP)-470661, Prior Environment Clearance for M/s Baruyee Bauxite Quarry in an area of 9.049 ha. (Bauxite-58970, Laterite-52836, OB-4718 cum per year) (Khasra No. 64/1), Village-Barua, Tehsil-Majhgawan, District-Satna (MP) [518134] (EIA Referred Back)

पूर्व में यह प्रकरण SEAC की 768 वीं दिनांक 28/01/2025 एवं 781वीं दिनांक 03/04/2025 में पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गई थी।

SEIAA referred back this case in 884th SEIAA meeting Dated 07/05/2025

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 781वीं बैठक दिनांक 03.04.2025 एवं 768वीं बैठक दिनांक 28.01.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 868वीं बैठक दिनांक 14.02.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

“राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्नानुसार स्थिति पाई गई :-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सतना द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्रानुसार अंतरराज्यीय सीमा की दूरी खनन क्षेत्र से 10 किलोमीटर की परिधि के अंदर होना बताया गया है जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि अंतरराज्यीय सीमा की सही दूरी क्या है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कलेक्टर सतना से अंतरराज्यीय सीमा की दूरी खनन क्षेत्र से कितने किलोमीटर पर है का अभिप्रायणीकरण करवाकर 15 दिवस के अंदर प्रस्तुत किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत भू-सहमति में उल्लेख है कि उक्त भूमि की रजिस्ट्री दिनांक 31.12.2024 के पूर्व करा ली जावेगी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त भूमि की रजिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत करें।

- III. SEAC समिति द्वारा प्रकरण के कार्यवाही विवरण दिनांक 28.01.2025 में उल्लेख किया गया है कि प्रकरण में डिया द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, किन्तु प्रकरण में डिया की पर्यावरण स्वीकृति संलग्न नहीं है। अतः SEAC समिति उपर्युक्त तथ्य के संबंध में स्थिति स्पष्ट करें।”

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) द्वारा 781वीं बैठक दिनांक 03.04.2025 को पुनः परीक्षण कर पूर्व अनुशंसा को यथावत रखते हुए प्रकरण प्राधिकरण को अग्रेषित किया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र क्रमांक 2196 दिनांक 21.11.2023 अनुसार स्वीकृत खदान रानीपुर टाईगर रिजर्व के अधिसूचित परिस्थितिकी संवेदी जोन (ESZ) की सीमा से 4.923 कि.मी. दूर स्थित होना उल्लेखित है। भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25.06.2014 में उल्लेखित “Any project or activity specified in category ‘B’ will be appraised at the Central level as Category ‘A’, if located in whole or in part within 5 km. from the boundary of: (i) Protected areas notified under the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972); (ii) Critically polluted areas as identified by the Central Pollution Control Board constituted under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) from time to time; (iii) Eco-sensitive areas as notified under sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, and (iv) inter-State boundaries and international boundaries; provided that for River Valley Projects specified in item I(c), Thermal Power Plants specified in item I (d), Industrial estates/parks/complexes/areas, export processing zones (EPZs), Special Economic Zones (SEZs), biotech parks, leather complexes specified in item 7(c) and common hazardous waste treatment, storage and disposal facilities (TSDFs) specified in item 7 (d), the appraisal shall be made at Central level even if located within 10km.” के अनुसार उक्त खदान रानीपुर टाईगर रिजर्व के अधिसूचित परिस्थितिकी संवेदी जोन (ESZ) की सीमा से 5 कि.मी. के अंदर होने के कारण प्रकरण ए-श्रेणी के अंतर्गत होना प्रतीत होता है। SEAC द्वारा अपने कार्यवाही विवरण में स्पष्ट उल्लेख किया गया कि रानीपुर टाईगर रिजर्व की अधिसूचित परिस्थितिकी संवेदी जोन (ESZ) की सीमा से प्रस्तावित खदान 4.923 कि.मी. है इसके उपरांत भी भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 25.06.2014 के अनुसार प्रकरण का परीक्षण न करते हुए ए-श्रेणी के प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को पुनः परीक्षण हेतु SEAC अग्रेषित किया जाये। SEAC द्वारा 07 दिवस में अनुशंसा सहित प्रकरण प्राधिकरण को प्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 26/07/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

और उनके द्वारा समिति के समक्ष सिया द्वारा जारी कार्यवाही विवरण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार

पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि सिया द्वारा जारी कार्यवाही विवरण के अनुसार उक्त प्रकरण हेतु जारी एकल प्रमाण पत्र में उल्लेखित किया गया है कि रानीपुर टाइगर रिजर्व की अधिसूचित पारिस्थितिक संवेदनशील जोन (ESZ) की सीमा से प्रस्तावित खदान 4.923 कि.मी. है एवं उक्त खदान रानीपुर टाइगर रिजर्व के अधिसूचित पारिस्थितिक संवेदनशील जोन (ESZ) की सीमा से 5 कि.मी. के अंदर होने के कारण प्रकरण ए-श्रेणी के अंतर्गत होना प्रतीत होता है जिसके सम्बन्ध में यह बताना चाहते हैं कि-

EIA Notification 2006 तथा संशोधन 25.06.2014 में उल्लिखित "**General Condition**": "Any project or activity specified in category 'B' will be appraised at the Central level as Category 'A', if located in whole or in part within 5 km. from the boundary of: (i) Protected areas notified under the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972); (ii) Critically polluted areas as identified by the Central Pollution Control Board constituted under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) from time to time; (iii) Eco-sensitive areas as notified under sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986

उपरोक्त शर्तें केवल ईको सेंसिटिव एरिया (Eco Sensitive Areas & ESAs:- जैसे (i) Western Ghats, (ii) Dahanu Taluka, (iii) Bhagirath (iv) Doon Valley (v) Mahabaleshwar (vi) Matheran & (vii) Mount Abu.) पर लागू होती है, ईको सेंसिटिव जोन (ESZ) पर लागू नहीं है। ESAs और ESZ दो भिन्न अवधारणाएं हैं - जहां ESA स्वयं संरक्षित क्षेत्र होता है जोकि इस क्षेत्र में नहीं है, वहीं ESZ वह बफर जोन होता है जो की राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर निर्धारित किया जाता है।

पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि-MoEF की आधिकारिक वेबसाइट (<https://moef-gov-in>) पर भी ESZ और ESA से संबंधित अधिसूचनाएं अलग-अलग अनुभागों में प्रकाशित की गई हैं । अतः उक्तानुसार यह प्रकरण EIA अधिसूचना 2006 एवं उसके संशोधन 2014 में दी गयी जनरल कंडीशन के अंतर्गत नहीं आता है ।

इसके अतिरिक्त प्रस्तुत किया गया कि परियोजना रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य (Wildlife Sanctuary) की अधिसूचना (S.O. 3573-E date 09/11/17) में उल्लेख है "The ESZ shall be an extent of upto 1.0KM all around the boundary of the Ranipur Wildlife Sanctuary and area of the ESZ is 193.43 Sqm."

ESZ की सीमा से लीज एरिया 4.923 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जिसका उल्लेख एकल प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से किया गया है व इस अभयारण्य के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC), भारत सरकार द्वारा पहले ही 1.0 किलोमीटर ईको सेंसिटिव जोन (ESZ) अधिसूचित किया जा चुका है। अतः इस प्रकार प्रस्तावित उत्खनिपट्टे की दूरी रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य (Wildlife Sanctuary) की सीमा से 5.923 किमी हो जाती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सेक की **768 वी बैठक दिनांक 28/01/2025 एवं 781वीं बैठक दिनांक 03/04/2025 में पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा पूर्व षर्तों को यथावत रखते हुए** की जाती है।

18. Case No 11141/2024 Shri Chandra Patidar, Lessee, R/o Tillorkhurd, Tehsil & District-Indore, (MP)-452020, Prior Environment Clearance for M/s Kevadia Stone Quarry in an area of 1.10 ha. (Gitti-15936, M-Sand-30000 cum per year) (Khasra No. 86/1/3kh), Village-Kewadya, Tehsil-Indore, District-Indore (MP) [448594] [DEIAA] (EIA Referred Back)

पूर्व में यह प्रकरण SEAC की 774 वीं बैठक दिनांक 18/02/2025 में पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गई थी।

SEIAA referred back this case in 884th SEIAA meeting Dated 07/05/2025

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 774वीं बैठक दिनांक 18.02.2025 एवं 777वीं बैठक दिनांक 11.03.2025 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान का बैरियर जोन खुदा हुआ परिलक्षित है, इसके उपरांत भी SEAC द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है। भारत सरकार MoEF&CC के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 08.01.2019 के बिन्दु क्रमांक VIII के बिन्दु में स्पष्ट लेख है कि 7.5 मीटर का बैरियर जोन ग्रीन बेल्ट हेतु अनिवार्य है। प्रश्नाधीन प्रकरण में बैरियर जोन खुदा होने के बाद भी अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के बिन्दुओं के दृष्टिगत प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती है अतः प्रकरण में SEAC द्वारा अपना अभिमत प्रस्तुत किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 26/07/2025 को परियोजना प्रस्तावक श्री चंद्रशेखर पाटीदार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बड़ौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति से बैरियर जोन क्षेत्र खुदा हुआ है। अतः इसके पुर्नभरण के लिए, प्रकरण में एम-सेंड का उत्पादन जोड़ने के कारण नवीन सीटीई प्राप्त करने के लिए एवं डिया द्वारा जारी ईसी की शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कुछ समय देने का आग्रह किया गया।

समिति द्वारा उक्त संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिए :-

- बैरियर जोन क्षेत्र खुदा हुआ है अतः भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 08/01/2019 के पालनार्थ पुर्नभरण करवाकर

वृक्षारोपण कर संरक्षित कराएं तथा प्रमाणिक पालन प्रतिवेदन जियोटेग फोटोग्राफ़्स सहित प्रस्तुत करें।

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किये गये ओएम दिनांक 14/01/2025 के परिप्रेक्ष्य में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कमेन्ट्स/सीटीई (एम-सेंड का प्रस्ताव जोड़ते हुए अद्यतन) की प्रति परिवेश पोर्टल पर अपलोड करें।
- डिया द्वारा जारी इसी शर्तों का पालन प्रमुख रूप से लीज एरिया के चारो ओर फेन्सिंग, वृक्षारोपण, गारलैण्ड ड्रेन, सेटलिंग टैंक का निर्माण, बैरियर जोन संरक्षण की स्थिति आदि संबंधित जियोटेग फोटोग्राफ तथा सीईआर कार्यों संबंधित प्रमाणित दस्तावेज।

19.Case No P2/839/2024 RAMESHWARI JAISWAL, PROPRIETOR OF M/S SATYAM STONE CRUSHER, Village – Ghotaikhurd, Tehsil – Pushprajgarh, District – Anuppur, (M. P.). 484881,Prior Environment Clearance for M/s MEDHKHAR STONE QUARRY for Stone Gitti, Quarry Project Capacity – 10200 Cubic Meter per year & Already DEIAA EC Issued. Project is located at Survey No. 12/1, in Village Medhakhar, Tehsil Pushprajgarh, District Anuppur (M.P.) Total Lease Area – 3.237Ha. [466221] (B2 Reffered Back)

प्रकरण आज सेक की 811वीं बैठक दिनांक 15/07/2025 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए एवं ऑनलाईन भी नहीं जुड़े। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से कोई सूचना भी प्राप्त नहीं है। प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

20. Case No P2/873/2024 NITIN AGRAWAL, Owner, NEAR OLD STATE BANK, CIVIL LINES, MANDLA (M.P.) Prior Environment Clearance for Dolomite Mine in an area of 1.81 ha. (17,220 TPA) (Khasra No. 450,452,457) Village Kata Mal.Tehsil Bichhiya District Mandla (M.P.). [466098] DEIAA-Re-appraisal] (B2 Referred Back)

पूर्व में यह प्रकरण SEAC की 759 वीं बैठक दिनांक 28/05/2024 में पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गई थी।

SEIAA referred back this case in 884th SEIAA meeting Dated 07/05/2025

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 759वीं बैठक दिनांक 28.05.2024 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 878वीं बैठक दिनांक 17.03.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

" राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्नानुसार स्थिति पाई गई :-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत पी.एफ.आर. रिपोर्ट इस प्रकरण से संबंधित नहीं है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत उपरोक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा बिन्दु क्रमांक 1 की जानकारी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्तुत करने के उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये। "

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर ADS दिनांक 17.03.2025 के माध्यम से उपरोक्त चाही गई जानकारी प्रस्तुत की गई।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

1. SEAC द्वारा 759वीं बैठक दिनांक 28.05.2024 के कार्यवाही विवरण में लेख किया गया है कि खदान क्षेत्र का बैरियर जोन खुदा हुआ है, इसके उपरांत भी SEAC द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है। भारत सरकार MoEF&CC के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 08.01.2019 के बिन्दु क्रमांक VIII के बिन्दु 1 में स्पष्ट लेख है कि 7.5 मीटर का बैरियर जोन ग्रीन बेल्ट हेतु अनिवार्य है। प्रश्नाधीन प्रकरण में बैरियर जोन खुदा होने के बाद भी अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के बिन्दुओं के दृष्टिगत प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती है अतः प्रकरण में SEAC द्वारा अपना अभिमत प्रस्तुत किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

प्रस्तावित पत्थर खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन/पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए है, जिसमें आज दिनांक 26.07.25 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार उनके पर्यावरणीय

सलाहकार **Shri Mohit Malviya, AGS Environmental Services Pvt. Ltd., Delhi.**
उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

- The consultants submitted that the lease area transferred to their PP in the year 2017.
- On the available latest Google image of 12.05.2022 found that image is not clear in light of compliance.
- DEIAA EC conditions has not properly complied.

- PESA NOC is under process to obtain.

समिति उक्त संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिए :-

- बैरियर जोन क्षेत्र खुदा हुआ है अतः भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 08/01/2019 के पालनार्थ पुर्नभरण करवाकर वृक्षारोपण कर संरक्षित कराएं तथा प्रमाणिक पालन प्रतिवेदन जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत करें।
- डिया द्वारा जारी ईसी शर्तों का पालन प्रमुख रूप से लीज एरिया के चारो ओर फेन्सिंग, वृक्षारोपण, गारलैण्ड ड्रेन, सेटलिंग टैंक का निर्माण, बैरियर जोन संरक्षण की स्थिति आदि संबंधित जियोटेग फोटोग्राफ तथा सीईआर कार्यों संबंधित प्रमाणित दस्तावेज।
- पेसा संबंधी एनओसी प्रस्तुत करें।

21. Case No P2/929/2024 Shri Manohar Patidar, Partner, M/S DHANLAXMI CONSTRUCTION AND SUPPLIERS, H.No-22, Village-Rajdhar, Mundla, Dostadar, Kampel road, Indore (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.0 ha. (STONE (GITI) - 17945 m3/Year) (Khasra No. 341) Vill. KHARJUNI, UNDALI, SARDARPUR, DHAR (M.P.) [468809] [DEIAA-New] (Query Reply B2)

Earlier this case was discussed in 800th SEAC meeting dated 10/06/2025 wherein Query was Raised.

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि दक्षिण दिशा में 119 मी. की दूरी पर एक पुलिया स्थित है चूँकि प्रकरण में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है अतः 200 मी. तक का क्षेत्र गैर खनन हेतु छोड़ा जाना प्रस्तावित किया है एवं लीज क्षेत्र के उत्तर पूर्वी दिशा में लीज का साईड आफिस स्थित है खनन के दौरान कोई भी पेड़ काटा जाना प्रस्तावित नहीं है, केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित है।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :-

- लीज क्षेत्र में केशर स्थापित है अतः इस संबंध में प्रमाणिक जानकारी यथा एलओआई प्रस्तुत करें।
- डिया द्वारा जारी ईसी शर्तों का पालन – लीज एरिया के चारो ओर फेन्सिंग, वृक्षारोपण, गारलैण्ड ड्रेन, सेटलिंग टैंक का निर्माण, बैरियर जोन की स्थिति आदि संबंधित जियोटेग फोटोग्राफ, प्रमाणित दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें।
- परियोजना प्रस्तावक इस खदान का विवरण अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दर्ज होने संबंधी विवरण प्रस्तुत करें।

आज दिनांक 26/07/2025 को परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार अमित सक्सेना, मेसर्स, एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

- लीज क्षेत्र में केशर स्थापित है अतः इस संबंध में इस संबंध में जिला खनिज अधिकारी, धार का पत्र क्रमांक 635 दिनांक 04/04/2017 प्रस्तुत किया गया।
- परियोजना प्रस्तावक इस खदान का विवरण अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दर्ज किया जाएगा, इस संबंध में जिला खनिज अधिकारी का पत्र क्रमांक 1734 दिनांक 10/06/25 प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	700 मीटर की लम्बाई में से 500 मीटर पर फेंसिंग की गई है एवं 200 मीटर पर फेंसिंग बाकि है
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बैरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	बैरियर जोन में 120 वृक्ष लगे हुए हैं प्रस्तावित खनन क्षेत्र के उत्तर दिशा में 80 मीटर, पूर्व दिशा में 40 मीटर एवं दक्षिण दिशा में 50 मीटर जो हरित पट्टी का क्षेत्र खुदा हुआ है उसका पुनर्भरण कर दिया गया है
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	लगभग 60 प्रतिशत पायी गई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 300 पेड़ लगाये गये एवं 50 पेड़ बांटे गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक विकास के लिए पीपी द्वारा विभिन्न सीईआर गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं। इनमें से कुछ गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं। ग्राम पंचायत उंडेली में भूमि समतलीकरण कार्य के लिए एक जेसीबी और दो डंपर बजरी उपलब्ध कराई गई। जिसके साक्ष्य पत्र क्रमांक 14 दिनांक 4 / 07 / 2025 में दिया गया है

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य पाई गई

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता – स्टोन (गिट्टी) –17,945 घनमीटर/वर्ष
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में क़शर /एम सेंड प्लान्ट प्रस्तावित है। म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क़शर /एम

- सेंड प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जावेगी।
3. ब्लास्टिंग प्रक्रिया में नियमानुसार सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन करते हुए आसपास के राहगीरों/कृषि भूमि/संरचना/पर्यावरण/जल निकायो/वृक्षों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
 4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 09.20 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 05.16 लाख प्रति वर्ष।
 5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु 1-50 लाख तथा सी ई आर में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये ।

सी.ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि		
1.	गांव श्यामपुरा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय 3 किलोवॉट के लिए सोलन पेनल व वैज्ञानिक उपकरण एवं इससे संबंधित वॉल पेंटिंग की जाएगी।	1,20,000
		30,000
	योग	1,50,000/-

6. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम **2400** वृक्षों का वृक्षारोपण ।

After presentation the committee asked PP/ Env. Consultant to submit following information; on receipt of reply/document this case shall be treated as recommended for grant of EC.

- The PP shall upload comments/CTE of MPPCB in compliance of MOEF&C's O.M. dated 14.01.2025 on the parivesh portal.

22. Case No 10844/2023 Shri Suresh Kumar Mittal, Partner, 24, Commercial Complex, House Board Colony, P.O. Katni, District-Katni (MP)-483501, Prior Environment Clearance for Kotalde Marble Mine area of 8.457 ha. (45600 cum per year for Marble Block and other purpose) (Khasra No. 127, 132, 139, 140, 141, 142, 143), Village-Bhailwar, Tehsil Chandia, District-Umaria (MP) [532527] (Query Reply EIA)

Earlier this case was discussed in 790th SEAC Meeting dated 07.05.2025 wherein following query raised.

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावत को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :-

- प्रस्तुत ईआईए में टॉर कम्पलाईन्स को बिन्दुवार ईआईए चेप्टर के अनुसार संदर्भ अंकित करें, टॉर के बिन्दुवार कम्पलाईन्स में नोटेड/रिक्त स्थान का पालन विवरण अंकित करें।
- जलगुणवत्ता परिणाम SW2 को अवलोकन कर सरफेस वाटर के परिणामों का निष्कर्ष अंकित करें।
- गारलेण्ड ड्रेन तथा षिल्टेशन पोन्ड के विवरण दिये जायें।
- वायु, जल, ध्वनि, मृदा गुणवत्ता मापन हेतु मॉनिटरिंग आवृत्ति ईआईए चेप्टर VI, IX, X में अन्तराल पृथक-पृथक उल्लेखित है, इसे एकरूपता कर तदनुसार ईएमपी में संशोधन किया जाये।
- ईआईए के अन्य निम्न बिन्दुओं को समिति में हुई चर्चानुसार चेप्टर VII, VIII, IX में संशोधित/उन्नयन कर प्रस्तुत करें।

PP submitted following information about the lease area:

- Kotalde Marble Mine is situated near village- Kotalde, Tehsil – Bilaspur, District – Umariya, Madhya Pradesh over an area of 8.457 hectares. The quarry lease has been allotted in favour of M/s S.K. Marbles by State Government vide its letter No. 8239-40/ गुप-3/न.क्र.2023, dated 30.06.2023 and 10684-85/गुप-3/न.क्र.-07/पु.अनु./2023, dated 30.09.2024. The validity of LOI is up to 30.06.2025.
- Mining Plan has been approved vide letter dated 17.07.2023 by the DGM M.P.
- No forest land involvement, so no diversion of forest land;
- No R & R involvement;
- Not covered under Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 as no such area is involved in it.
- No National Park, Sanctuaries, Biosphere Reserve, Wild life Corridors, Tiger/Elephant reserves within study area, hence threat to biodiversity is minimal.
- No critically polluted areas present in study area;
- No diversion of any perennial surface water body;
- Having raw materials availability to cement plant.

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 08/05/2025 को परियोजना प्रस्तावक की ओर से प्रतिनिधि श्री पुष्पेन्द्र सिंह बुन्देला पर्यावरणीय सलाहकार श्री संजय सिंह, कोर्डिनेटर मेसर्स पी. एंड एम. साल्युशन नोयडा (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया कि :-

- The Project was considered in the SEAC meeting of 790th held on 7th May 2025.
- The SEAC, after examining the documents submitted by the project proponent and detailed deliberations in its 790th meeting on 7th May, 2025, **deferred the project for** demand of the following information.
- TOR Compliance has been Complied.
- Details of Garland Drain and Siltation Pond has been given in Chapter 4.
- Details of Monitoring Program has been given in Chapter 6, 10 & 11. Ref. – Chapter 6 (Page No. – VI-4 to VI-6), Chapter 11 (Page No. – XI-12 to XI-14), Chapter 7 (Page No. – VII-16) Chapter 10 (Page No. – X-7 to X-8).
- The PP has obtained CTE fresh vide PCB id -168698 dated 17.04.2025 , which is valid upto 31.03.2030.

समिति ने प्रकरण के परीक्षण के उपरान्त निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये तत्पश्चात् प्रकरण पर विचार किया जावेगा :-

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किये गये ओएम दिनांक 14/01/2025 के परिप्रेक्ष्य में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कमेन्ट्स/सीटीई की प्रति परिवेश पोर्टल पर अपलोड करें।

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 26/07/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार Ms. Shilpa Rathee, FAE मेसर्स पी. एंड एम. साल्युशन नोयडा (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया कि :-

The PP has obtained CTE from MPPCB vide no. 122552 dated 17.04.2025 and same has been and uploaded on the Parivesh Portal dated 10.07.2025 for 45,600 Cum/Annum for Marble Block and other purpose.

The EIA/EMP and other submissions made by the PP earlier were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for grant of **Prior Environment Clearance for Kotalde Marble Mine (for Marble**

Block and other purpose) area of 8.457 ha. (45600 cum per year) (Khasra No. 127, 132, 139, 140, 141, 142, 143), Village-Bhailwar, Tehsil Chandia, District-Umaria (MP) subject to the following special conditions:

(A) PRE-MINING PHASE

1. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars.
2. Necessary consents for proposed activity shall be obtained from MPPCB and the air / water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
3. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
4. PP will also carry out fencing all around the lease area.
5. If any tree uprooting is proposed necessary permission from the competent authority should be obtained for the same.
6. For dust suppression, regular sprinkling of water should be undertaken.
7. Haul road and shall be compacted on regular interval and transport road will be made pucca (tar road) and shall be constructed prior to operation of mine.
8. PP will obtain other necessary clearances/NOC from respective authorities.
9. Slope stability study shall be carried out before commencing the mining activities.
10. Marble shall be sold only after approval of the State Government as per the prevailing rules & regulations.

(B) MINING OPERATIONAL PHASE

1. No intermediate stacking is permitted at the mine site.
2. No dump shall be stacked outside the lease area.
3. Overhead sprinklers shall be provided in mine.
4. Curtaining of site shall be done through thick plantation all around the boundaries of all part of lease. The proposed plantation scheme should be carried out along with the mining and PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. Initially, dense plantation shall be developed along the site boundary (in three rows) to provide additional protection in one year only.
5. Peripheral plantation all around the project boundary shall be carried out using tall saplings of minimum 2 meters height of species which are fast growing with thick canopy cover preferably of perennial green

nature. As proposed in the plantation schedule a minimum of 11,000 no of trees shall be planted on In barrier Zone within lease area, Along transport route , Backfilled Area, Backfilled Area, Plantation around Tehsil head quarter, Panchayat Bhawan, Hopspital and Anganwadi Centre.

6. barrier/non working zone, backfilled area, village and along the transportation route.
7. Transportation of material shall be done in covered vehicles.
8. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area.
9. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
10. Garland drain and bund along with settling tank will be maintained in the boundary side and around dump to prevent siltation of low-lying areas and in rush of water into the mine. The size of the drain will be 1000M X 1M X 0.5M.
11. The settling tank will be 02 in number of size 15X 7m X 2m each.
12. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
13. For dust suppression over head sprinkler shall be provided while on transport road for dust suppression tankers shall be provided.
14. The existing and proposed land use plan of the mine is as follows:

S. No	Details	Existing Land Use (ha)	At Conceptual Stage (ha)
1	Mined Out area in the lease	-	(7.122)
2	Area under utility services	-	0.01
3	Mined out Area fully Rehabilitated from Reclaimed area out of 1	-	0.992
4	Area under Water Reservoir considered Rehabilitated out of 1	-	6.13
5	Virgin area under Green Belt	-	1.325
6	Unused Land	8.457	0
TOTAL		8.457 Ha	8.457 Ha.

15. Appropriate and submitted activities shall be taken up for social upliftment of the Region. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat. Further any need base and appropriate activity may be taken up in coordination with local panchayat.
16. PP will take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
17. The commitments made in the public hearing are to be fulfilled by the PP.

18. Fund should be exclusively earmarked for the implementation of EMP through a separate bank account.
19. PPE's such as helmet, ear muffs etc should be provide to the workers during mining operations.

(C) ENTIRE LIFE OF THE PROJECT

20. In the proposed EMP, capital cost is Rs. 15.86 Lakh is proposed and Rs.06.43 Lakh /year as recurring expenses.
21. Under CSR activity, Rs. 2.0 Lakh are proposed in following different activities and should be implemented through respective committees.

S. No.	Activities	Cost (Rs.)
1.	Installation of 2 KVA solar plant in School/Panchayat building in Kotalde village. Giving Science Model, Science Painting and Cultural Painting to students in Kotalde school.	125000
2.	Health	
	Financial aid for medical camp in Kotalde village Awareness camps for Oral Hygiene Diabetes and Blood Pressure vaccination, cattle's health checkup	25000
3.	Infrastructure Development	
	Maintenance of village road of Kotalde	25000
4.	Skill development program camps like computer learning, sewing etc. in Kotalde village.	25000
Total		2,00,000

22. The environment policy of the company should be framed as per MoEF&CC guidelines and same should be implemented through monitoring cell. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.

23. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement.

23. Case No P2/990/2024 Narotam Dhaker, Owner, Dhakro ka Mohlla, Dobiya, Bhilwara, Rajasthan (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone in an area of 1.50 ha. (Stone – 10500 m3/Year & M-Sand 4500 cum per year) (Khasra No. 1248, 1249) Vill. Fusriya, Teshil – Singoli, Distt. Neemuch (M.P.) [525344] (Query Reply EIA).

Earlier this case was discussed in 804th SEAC meeting dated 24/06/2025 wherein Query was Raised.

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :-

1. ईआईए टॉर बिन्दु-16.44, 16.48, 16.97 में उल्लेखित विवरण ईआईए के ईएमपी पृष्ठ-221 के अनुरूप नहीं है। पृष्ठ-22 में फिगर 2.1 के अनुसार वाटर बैलेंस प्रस्तुत करें। पृष्ठ-33 पर ब्लास्टिंग का उल्लेख है, स्थिति स्पष्ट करें।
2. ईआईए पृष्ठ-123 पर एएक्यू उपकरण के फोटो से स्पष्ट है कि वायु गुणवत्ता मापन का स्टेशन निधारित एसओपी के अनुसार नहीं है। पृष्ठ-173, तालिका-4.2.1 के परिप्रेक्ष्य में अंकित पेरा को संशोधित करें। जल स्रोतों के बारे में स्पष्ट उल्लेख किया जाये यथा हेण्डपम्प/कुआ/बोरवेल आदि।
3. लोक सुनवाई पृष्ठ 99 से 113 तक अंकित विवरण (सुझाव/आपत्ति) का समुचित समाधान ईआईए में उल्लेख करें तदनुसार ईएमपी को पुनरीक्षित करें।
4. डिया द्वारा जारी ईसी शर्तों का पालन – लीज एरिया के चारो ओर फेन्सिंग, वृक्षारोपण, गारलैण्ड ड्रेन, सेटलिंग टैंक का निर्माण, बैरियर जोन की स्थिति आदि संबंधित जियोटेग फोटोग्राफ, प्रमाणित दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें।

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आज दिनांक 26/7/25 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया कि सेक की 804वीं बैठक दिनांक 24/06/25 में चाही गई जानकारी में आवश्यक संसोधन कर पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। प्रस्तुत की गई जानकारी के प्रमुख बिंदु निम्नानुसार हैं :-

16.44	Flow chart of water balance should be provided. Treatment of effluents from workshop, township, domestic wastewater, mine water discharge, etc. should be provided. Details of STP in colony and ETP in mine should be given. Recycling of water to the max. possible extent should be done.	A detailed water balance flow chart has been provided, illustrating water consumption and recycling processes. The treatment of effluents—including domestic wastewater and mine water discharge—has been thoroughly addressed. These sumps leverage microbial degradation to break down organic pollutants, with treated water either reused in operations or safely discharged. Measures to maximize water recycling are implemented, significantly reducing freshwater consumption and ensuring sustainable water management. The sump-based approach is cost-effective for decentralized treatment, aligns with circular water economies, and minimizes environmental impact.
-------	--	---

16.48	Site specific impact assessment with its respective measure to be provided	A site-specific impact assessment has been conducted, evaluating potential environmental and social impacts associated with the project. The assessment covers air quality, water resources, soil degradation, noise levels, biodiversity, and socio-economic factors. Mitigation measures include the installation of advanced air pollution control equipment, decentralized wastewater treatment through sumps, progressive land reclamation, noise barriers, and biodiversity conservation programs. The sump system ensures efficient on-site treatment of effluents, minimizing freshwater withdrawal and preventing contamination of surrounding water bodies.
-------	--	---

16.96	Impact of choice of mining method, technology, selected use of machinery and impact on air quality, mineral transportation, coal handling & storage/stockyard, etc. Impact of blasting, noise and vibrations should be provided.	Mining will be carried out semi mechanized open cast method by forming proper benches 3.00 meters high. No drilling and blasting will be carried out due to existence of road in eastern direction at a distance of 50.00 meter.
16.97	Details of various facilities to be provided to the workers in terms of parking, rest areas and canteen, and effluents/pollution load resulting from these activities should also be given.	Necessary facilities will be provided to mine personnel like rest shelter, parking, canteen, insurance etc.

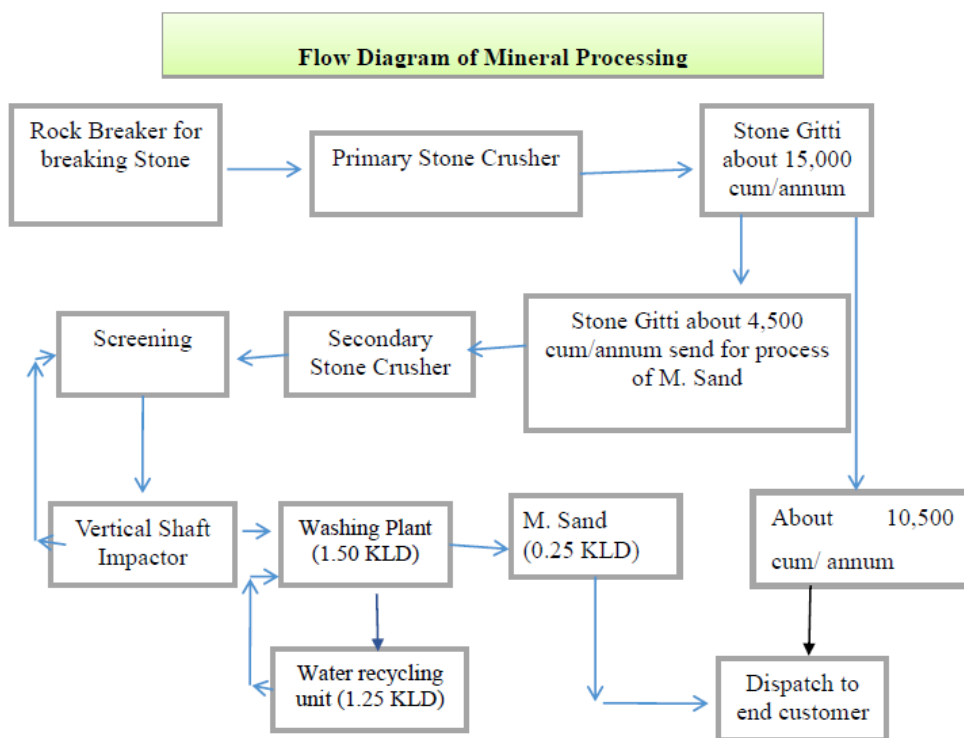


Figure 2.1 Showing flow diagram of mineral production

A
G

Table No. 4.2.1 Showing Waste Water Management

S. No	Particular	Details
1.	Waste water generation	Operational phase/Commissioning
1.	Type or source	Black water (Toilet waste water)
2.	Quantity of waste water generated	0.50 KLD
3.	Treatment method	Soak Pit System (Primary: Septic Tank Secondary: Soak Pit infiltration)
4.	Quantity of treated water used in recycle or reuse	Not applicable (Full infiltration into soil)
5.	Mode of disposal	Soil percolation (Natural filtration through soak pit)
6.	Zero liquid discharge	Achieved (100% infiltration; no surface discharge)

Table 3.11 Criteria of Selection of Water Sampling Stations

S. No	Name of the sampling stations	Coordinate		Distance with direction	Criteria of Selection	Remarks	Source of Water
		Latitude	Longitude				
1.	Mine site	25° 1' 21.72"	75° 16' 27.84"	6.30 km SE	To Check Present status of ground water, sample was taken	Ground water	Tubewell nearby
2.	Singoli	24° 59' 10.32"	75° 17' 17.88"	3.00 km W			Borewell
3.	Bari	25° 0' 25.56"	75° 18' 5.76"	2.80 km NW			Handpump
4.	Saimala R.F.	25° 2' 19.68"	75° 18' 5.76"	2.70 km SE			Borewell
5.	Fusriya	24° 58' 50.88"	75° 17' 22.56"	9.00 km SW			Borewell
6.	Baneriya	24° 58' 59.16"	75° 12' 10.08"	3.30 km E			Handpump
7.	Mata Ka khera	25° 01' 30.14	75° 18' 42.05	7.60 km NW			Borewell
8.	Aroli	25° 04' 01.98	75° 12' 43.58	6.30 km SE			Borewell

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किए गए सरफेस मेप में दर्शाया गया है कि खनन योग्य क्षेत्र 0.7585 हे. है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता – स्टोन गिट्टी –10,500 घनमीटर/वर्ष, एम् सैंड – 4,500 घनमीटर/वर्ष
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खनन हेतु ब्लास्टिंग प्रक्रिया प्रस्तावित नहीं है।
3. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में कशर /एम सैंड प्लान्ट प्रस्तावित है । म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित कशर /एम सैंड प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जावेगी।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 15.76 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 5.16 लाख प्रति वर्ष।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु 1-20 लाख तथा सी ई आर में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 1 वर्ष में पूर्ण किये जाये ।

सी.ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि		
1.	Solar panel installation on the rooftop of school in village Fusriya (2 kW)	120,000.00
योग		1,20,000/-

6. वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1800 वृक्षों का वृक्षारोपण ।

24. Case No P2/697/2024 BALVEER TOMAR, M/s The M.P State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for M/s DHAURARA SAND MINE in area of 5.20 Hectare, Khasra No-332 in Village -Dhaurara, Tehsil-Gaurihar, District -Chhatarpur(MP), Maximum Production-70000 cum per annum [519855] (Query Reply EIA)

Earlier this case was discussed in 807th SEAC meeting dated 03/07/2025 wherein Query was Raised.

समिति द्वारा उपरोक्त प्रकरण के परीक्षण करने पर भौतिक रूप से प्रस्तुत दस्तावेज से पाया कि प्रश्नाधीन रेत खदान की पर्यावरण स्वीकृति 06/03/2028 तक वैध है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि रेत खदान की पूर्व में 70,000 घनमीटर/वर्ष की पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई थी वर्तमान में रेत खदान की 70,000 घनमीटर/वर्ष की पर्यावरण स्वीकृति चाहिए गई है। ऐसी स्थिति में उसी मात्रा की पुनः पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है तथापि प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक को प्राप्त वैध पर्यावरण स्वीकृति की प्रति पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई है अतएव समिति का निर्देश है कि पुनः पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन करते समय पर्यावरण स्वीकृति की प्रति पोर्टल पर भी अपलोड करें।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया की उक्त खदान की वैध पर्यावरण स्वीकृति की प्रति पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है जो सिया द्वारा दिनांक 20.2.2024 की जारी की गयी थी जिसकी वैधता 06/03/2028 तक है।

(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव

(राकेश कुमार श्रीवास्तव)
अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M. of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Manual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
 37. The project proponent shall comply the MOEF&C's O.M. dated 24 July 2024 for ensuring plantation.
 38. **लीज क्षेत्र के अंदर में केवल केशर /एम-सेड प्लांट स्थित है, परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।**
 - खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
 - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
 39. **केशर अथवा एम सेड प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है ,परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।**
 - परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
 - खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
 - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
 40. यदि आवंटित खनन पट्टा भू-स्वामी की सहमति /अनुबंध पर हो तो परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा।
1. **क्षतिपूर्ति के संबंध में:-**
 - म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
 - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावे।

Annexure- 'B'Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.

23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - d. Minalable Potential of sand mine.
 - e. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - f. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) “from the river.....bank” shall be restricted should be followed in verbatim as the para says.
38. The project proponent shall comply the MOEF&C’s O.M. dated 24 July 2024 for ensuring plantation.
39. विगत वर्षों में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
40. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।